

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 अगस्त 2022—श्रावण 28, शक 1944

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2022

क्र. एफ 5-04-2022-एक(1).—माननीय न्यायाधिपति श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-2743-(दो-1-26-2021), दिनांक 5 जुलाई 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 16 मई 2022 से 22 मई 2022 तक के प्रोत्पकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के

कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-Estt(ए) दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

अवकाश नगदीकरण का यह पंचम अवसर है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रंजना पाटने, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2022

क्र. 2785-2022-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन वर्ष 2023 में अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका-5 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किए जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने की अवधि	सेवानिवृत्ति दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री रमा शंकर शर्मा	5-1-1963	4-1-2023	31-1-2023
2	श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव	5-1-1963	4-1-2023	31-1-2023
3	श्रीमती गिरीबाला सिंह	12-2-1963	11-2-2023	28-2-2023
4	श्री जगदीश चन्द्र राठौर	14-2-1963	13-2-2023	28-2-2023
5	श्री जय प्रकाश सिंह	1-3-1963	28-2-2023	28-2-2023
6	श्री देवनारायण (शुक्ला)	10-3-1963	9-3-2023	31-3-2023
7	श्री दिलीप कुमार नागले	14-3-1963	13-3-2023	31-3-2023
8	श्री राजवर्धन गुप्ता	15-3-1963	14-3-2023	31-3-2023
9	श्री नवीन कुमार सक्सेना	29-3-1963	28-3-2023	31-3-2023
10	श्री हरीश कुमार कौशिक	1-5-1963	30-4-2023	30-4-2023
11	श्री चन्द्रदेव शर्मा	3-5-1963	2-5-2023	31-5-2023
12	कु. साधना माहेश्वरी	6-5-1963	5-5-2023	31-5-2023
13	श्रीमती कृष्णा परस्ते	10-5-1963	9-5-2023	31-5-2023
14	श्री कृपा शंकर शाक्य	25-5-1963	24-5-2023	31-5-2023
15	श्री अशवाक अहमद खान	26-6-1963	25-6-2023	30-6-2023
16	श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह	30-6-1963	29-6-2023	30-6-2023
17	श्री चन्द्र मोहन उपाध्याय	1-7-1963	30-6-2023	30-6-2023
18	श्री अनिल कुमार सिंह	8-7-1963	7-7-2023	31-7-2023
19	श्री सनत कुमार कश्यप	11-7-1963	10-7-2023	31-7-2023
20	श्री सुरेश कुमार चौबे (सीनियर)	21-7-1963	20-7-2023	31-7-2023
21	श्री रामप्रकाश कतरौलिया	12-8-1963	11-8-2023	31-8-2023
22	श्री प्रेम नारायण सिंह	14-8-1963	13-8-2023	31-8-2023
23	श्री लखन लाल गर्ग	17-8-1963	16-8-2023	31-8-2023
24	श्री अशोक कुमार शर्मा (जूनियर-1)	30-8-1963	29-8-2023	31-8-2023
25	श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी (सीनियर)	12-9-1963	11-9-2023	30-9-2023
26	डॉ. रमेश साहू	22-10-1963	21-10-2023	31-10-2023
27	श्री अचल कुमार पालीवाल	26-12-1963	25-12-2023	31-12-2023
28	श्री प्रभात कुमार मिश्रा	1-1-1964	31-12-2023	31-12-2023
29	श्री सिकन्दर सिंह परमार	1-1-1964	31-12-2023	31-12-2023
30	श्री रामब्रेश (यादव)	1-1-1964	31-12-2023	31-12-2023
31	श्री मसूद अरशद खान	1-1-1964	31-12-2023	31-12-2023

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2022

फा. क्र. 2881-इक्कीस-ब(दो)-2022.—राज्य शासन, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में पूर्व से स्वीकृत रिक्त अतिरिक्त सचिव के पद पर श्री राजेश गुप्ता, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मध्यप्रदेश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविदा पर नियुक्ति नियम, 2017 में उल्लेखित सामान्य शर्तों के अधीन, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पहले हो, संविदा नियुक्ति प्रदान कर अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर में पदस्थ करता है।

उक्त के संबंध में होने वाला व्यय “मांग संख्या-29-2014-न्याय प्रशासन-(114)-विधि सलाहकार और परामर्शदाता योजना (3428)-महाधिवक्ता में वित्त वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 3335-इक्कीस-ब(एक)-2022.—राज्य शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग में अतिरिक्त सचिव, विधि के रिक्त पद पर श्री विजय कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मध्यप्रदेश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविदा पर नियुक्ति नियम, 2017 में उल्लेखित सामान्य शर्तों के अधीन, उनके पद ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पहले हो, संविदा नियुक्ति प्रदान करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं (090)-सचिवालय योजना-(9057)-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद-11-वेतन भत्ते की उपमद-025-संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2022

फा. क्र. 2903-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 27 अगस्त 2021 की शर्तों पर माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल, मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन, भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (8) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री वैभव जैन, अधिवक्ता, इन्दौर के कार्यकाल में दिनांक 14 जुलाई 2022 से एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है। उन्हें उक्त प्रकरणों में पैरवी के फलस्वरूप फीस इत्यादि का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश चन्द्र शर्मा, सचिव।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2022

क्र. एफ 02-02-2021-अ-तिहत्तर.—राज्य शासन, एतद्वारा, विभागीय आदेश क्रमांक एफ 02-02-2021-अ-तिहत्तर, दिनांक 29 नवम्बर 2021 से जारी “मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना” की कंडिका क्रमांक 1(ii) पात्रता के भाग (क) तथा (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

(क) आयु	18-45 वर्ष
(ख) शैक्षणिक योग्यता	8वीं कक्षा उत्तीर्ण

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशि भूषण सिंह, अपर सचिव।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2022

क्र. 906-779971-2022-बी-ग्यारह.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी को सारिणी के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये श्री संजय तिवारी, प्रभारी असि. रजिस्ट्रार के अवकाश के दौरान कालम (2) में उल्लेखित अधिकारी को कालम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों हेतु असिस्टेंट रजिस्ट्रार नियुक्त करता है :—

अनु- क्रमांक	अधिकारी का नाम/ पदनाम	अधिनियम की धाराएं	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
01	श्री अनिल पंडित, असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, रीवा संभाग, रीवा.	6, 7,10,11,12,13,15, 16,17,18,25(2), 26,27,28,29,30, 31,32,34,37,38 एवं 39.	जबलपुर, संभाग, जबलपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, अपर सचिव।

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, पं. एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2022

आदेश

क्र. एफ-1-3-22-रा.स.-यू.ए.-1-1071.—पं. एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (क्रमांक 28 सन् 2016) की धारा 9 की उपधारा (1) सहपठित परिनियम-1 की कंडिका 01 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, पं. एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल, एतद्वारा प्रो. राम शंकर, प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्यप्रदेश) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, के लिए पं. एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल का कुलपति नियुक्त करता हूँ.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-2 के अनुसार शासित होंगी.

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रीवा, मध्यप्रदेश

क्र. 607-न्याकिय-2022

रीवा, दिनांक 1 अगस्त 2022

पुलिस अधीक्षक रीवा के पत्र क्रमांक-वरि.पु.अ./रीवा/एसी-1/एम'561-एफ/2022 दिनांक 11/03/2022 में उल्लिखित म0प्र0 शासन आदेश क्रमांक /एफ-2 (क)-10 / 2015 /बी-3/दो दिनांक 06/09/2018 एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल से स्वीकृत 5750 नवीन पदों के सृजन के अंतर्गत जिले में शहर की सुरक्षा हेतु थाना अमहिया नवीन स्वीकृत शासन द्वारा प्रदान की गई है।

जिले में शहर की सुरक्षा हेतु नवीन थाना अमहिया की स्थापना

स0क0	जिले का नाम	नवीन स्वीकृत थाना का नाम	नवीन थाना के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों का नाम
1	2	3	4
01	रीवा	अमहिया	सिविल लाइन कालोनी, हेडगेवार नगर, जान टावर, मानस भवन, बधान मोहल्ला, नारेन्द्र नगर, विकास कालोनी, दीप काम्पलेक्स, कलामंदिर, प्रकाश चौक, मुरलीधर कालोनी, सुभाष चौक, सिरमौर चौक, मुन्नू डेयरी, अमहिया, पीली कोठी, छोटी दरगाह, छीर सागर काम्पलेक्स, अंगूरी बिल्डिंग, दैनिक जागरण मोड, बडी पोस्ट आफिस, पी.के.स्कूल के पीछे, बाल भारती स्कूल, फैजुल्लाधर्मशाला, बडी दरगाह अमहिया, अर्जुन नगर, शास्त्री नगर, एम.पी.ई.बी., गल्ला मण्डी, रिफयूजी कालोनी, एस.जी.एम.एच., कैम्पस, अस्पताल चौक, डा0कालोनी, धोबिया टंकी, कमसरियत मोहल्ला अनाथालय, गुढ चौक, नेहरू बस्ती, पुलिस लाइन कालोनी, जेल, जेल कालोनी, ब्यंकट बटालियन, द्वारिका नगर, पी.टी.एस.चौराहा, पी.टी. एस.कैम्पस, पुलिस लाइन कैम्पस, न्यू पुलिस लाइन कालोनी, ललपा, पोखरी टोला, श्रवण कुमारी स्कूल

नवसृजित थाना अमहिया में उपरोक्तानुसार कालम नं० 4 में वर्णित ग्राम थाना अमहिया में सम्मिलित किए जाते हैं। उक्त नवसृजित पुलिस थाना अमहिया के संचालन/सम्पादन व कार्य तथा प्रक्रिया हेतु, समय-समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों, परिपत्रों एवं विनियमों का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत निहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारम्भ करने के लिए एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक 31-2022

शहडोल, दिनांक 2 अगस्त 2022

बंधक श्रमिक पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19-1976) की धारा 13 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अतः कार्यकाल समाप्त होने के फलस्वरूप पुनः आगामी 2 वर्षों के लिए जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

जिला स्तरीय सतर्कता समिति

1	धारा 13(2) अंतर्गत अध्यक्ष	-	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला शहडोल
2	धारा 13(2) ख अंतर्गत अ.जा./ अ.ज.जा. वर्ग के प्रतिनिधि सदस्य	-	1. श्री विकास बैगा, ग्राम जमुआ, वि.ख. सोहागपुर, जिला शहडोल 2. श्री कमलेश सिंह मार्को, ग्राम छपरा, वि.ख. जयसिंहनगर, जिला शहडोल 3. श्री राजनाथ चर्मकार, ग्राम मझौली, वि.ख. गोहपारू, जिला शहडोल 4. श्री विनोद सिंह आर्मो, ग्राम उचेहरा, वि.ख. गोहपारू, जिला शहडोल
3	धारा 13(2) ग अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता-सदस्य	-	1. श्री प्रदीप सिंह, ग्राम चुनिया (सिंदुरी), पो. पंचगांव, वि.ख. सोहागपुर, जिला शहडोल 2. श्री दीपक केशरवानी, बस स्टैण्ड के पास, जयसिंहनगर, जिला शहडोल
4	धारा 13(2) घ अंतर्गत राज्य शासन द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि-सदस्य	-	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शहडोल 2. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, शहडोल 3. प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख, जिला शहडोल
5	धारा 13(2) ङ. अंतर्गत वित्त एवं ऋण संस्था के प्रतिनिधि-सदस्य	-	1. महाप्रबंधक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, शहडोल

वंदना वैद्य, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी न्यायाधिकरण, भोपाल
(भू-तल "बी" विंग, विंध्याचल भवन, भोपाल)

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2022

क्र. सह. अधि.-रीडर-2022-1329.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम क्रमांक 2000 के विनियम क्रमांक-3 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के संभागीय मुख्यालय जबलपुर में माननीय अध्यक्ष, श्री चन्द्रेश कुमार खरे एवं सदस्य, श्री अरूण माथुर, मध्यप्रदेश, राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल द्वारा प्रकरणों की सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 1-9-2022 एवं 2-9-2022 (दो दिन) के लिए नियत की गई है. उक्त दिनांक 1-9-2022 एवं 2-9-2022 को पेशी स्थान कार्यालय, कलेक्ट्रेट, जबलपुर जिला जबलपुर में समय प्रातः 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच होगी. एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित हो.

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,

विमल कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 18 जुलाई 2022

सार्वजनिक सूचना [अन्तर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11 (1)]

क्र. 3807-भू-अर्जन-0003 (अ-82)-21-22.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार 36वीं विशेष भारत रक्षित वाहिनी विसबल बालाघाट हेतु मौजा कनकी, तहसील लालबर्गा, जिला बालाघाट के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:—

ग्राम का नाम	स. क्र.	खातेदार का नाम	सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में)	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कनकी	1	मकरंध अंधारे पुत्र शरद अंधारे, जाति ब्राम्हण पता कनकी.	704	0.567	0.042	36वीं विशेष भारत रक्षित वाहिनी विसबल बालाघाट हेतु.
योग :				0.567	0.042	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी को हित व उस पर स्थित मकान/कुँआ/नलकूप/वृक्ष आदि बाबत दावा, आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के पंद्रह दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावें/आपत्तियाँ मान्य नहीं होगी.

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्षम प्राधिकारी, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
अनुभाग-मऊगंज, जिला-रीवा, मध्यप्रदेश

मऊगंज, दिनांक 26 जुलाई 2022

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिए)

क्र. 157-भू-अर्जन-कार्य-21.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 51, दिनांक 31 मार्च 2022 द्वारा राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-अटारी, तहसील-मनगवां, जिला-रीवा से ग्राम-अटारी, तहसील-मनगवां, जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 4 फरवरी 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मनगवां	अटारी,	360/1	0.040
		पटवारी हल्का,	359	0.065
		रघुराजगढ़,	548	0.033
		तहसील-मनगवां	549	0.039
			546	0.008
			572	0.029

ए. पी. द्विवेदी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 10 अगस्त 2022

क्र. 2307-भू-अर्जन-22.—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 8, सनावद, जिला खरगोन की ओर से प्रस्तुत पत्र क्रमांक 1431, दिनांक 4 मई 2022 के पालन में मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 क्रमांक 5 सन् 2013 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य के देवास जिले में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट मुख्यतया मंजूर नर्मदा-क्षिप्रा बुहउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत देवास एवं शाजापुर जिले के 30000 हे. (सी.सी.ए.) क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन बिछाने का कार्य अनसंरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए नीचे अनुसूची के क्रमशः स्तम्भ (3), स्तम्भ

(4), स्तम्भ (5) स्तम्भ (6) में उल्लेखित जिला तहसील पुलिस थाने और गांवों से संबंधित नीचे अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत बी.पी.टी.-1 से पम्प हाउस-3 तक बिछाई जाने वाली जी.एम.-1 भूमिगत पाईप लाईन के निर्माण एवं उससे संबंधित कार्य

स. क्र. (1)	सक्षम प्राधिकारी (2)	जिला (3)	तहसील (4)	पुलिस थाना (5)	ग्राम का नाम/प.ह.नं. (6)
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बागली.	देवास	उदयनगर	उदयनगर	बीशाली 62

क्र. 2310-भू-अर्जन-22.—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 8, सनावद जिला खरगोन की ओर से प्रस्तुत पत्र क्रमांक 1851, 1850, 1849, 1852/कार्य/2681, सनावद, दिनांक 8 जून 2022 के पालन में मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 क्रमांक 5 सन् 2013 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य के देवास जिले में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट मुख्यतया मंजूर नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत देवास एवं शाजापुर जिले के 30000 हे. (सी.सी.ए.) क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु अनसंरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए नीचे अनुसूची के क्रमशः स्तम्भ (3), स्तम्भ (4), स्तम्भ (5), स्तम्भ (6) में उल्लेखित जिला तहसील पुलिस थाने और गांवों से संबंधित नीचे अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत डी.सी.-1 से उज्जैन टैपिंग पाईप लाईन तक बिछाई जाने वाली जी.एम.-3 भूमिगत पाईप लाईन के निर्माण एवं उससे संबंधित कार्य

स. क्र. (1)	सक्षम प्राधिकारी (2)	जिला (3)	तहसील (4)	पुलिस थाना (5)	ग्राम का नाम/प.ह.नं. (6)
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देवास.	देवास	देवास	बरोठा	गोगिया 87
2					बांगरदा 63
3					धनोरा 91
4					टिनोनिया 98

क्र. 2313-भू-अर्जन-22.—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 8, सनावद जिला खरगोन की ओर से प्रस्तुत पत्र क्रमांक 1950/कार्य/एनकेएमपी/2022, सनावद, दिनांक 21 जून 2022 के पालन में मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 क्रमांक 5 सन् 2013 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य के देवास जिले में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट मुख्यतया मंजूर नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत देवास एवं शाजापुर जिले के 30000 हे. (सी.सी.ए.) क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु अनसंरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए नीचे अनुसूची के क्रमशः स्तम्भ (3), स्तम्भ (4), स्तम्भ (5), स्तम्भ (6) में उल्लेखित जिला तहसील पुलिस थाने और गांवों से संबंधित नीचे अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत डी.सी.-1 से उज्जैन टैपिंग पाईप लाईन तक बिछाई जाने वाली जी.एम.-3 भूमिगत पाईप लाईन के निर्माण एवं उससे संबंधित कार्य

स. क्र. (1)	सक्षम प्राधिकारी (2)	जिला (3)	तहसील (4)	पुलिस थाना (5)	ग्राम का नाम/प.ह.नं. (6)
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोनकच्छ.	देवास	टोंकखुर्द	चिड़ावद	चिड़ावद 16

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर
परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 18 जुलाई 2022

क्र. 197-भू-अर्जन-कार्य-2021.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) नगर/ग्राम—रहट
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.172 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
585	0.036
587	0.100
589	0.036
योग . .	0.172

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कार्यालय, कार्यपालन यंत्र, अपर पुर्वा नहर, संभाग रीवा के अन्तर्गत नौबस्ता डिस्ट्रीब्यूटरी की कठार माइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छोटे सिंह, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 4 अगस्त 2022

प्र. क्र. 2-अ-82-21-22.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—रेहटी
(ग) ग्राम—अमीरगंज
(घ) क्षेत्रफल—24.079 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
463/60/1/2	2.252
463/60/1/5	3.563
463/60/2, 61/1/14, 61/4, 62/2, 463/62/2	0.325
463/60/1/4	0.932
36/3	0.350
37/2	1.650
40/2/1	0.607
40/2/2	0.607
40/2/3	0.607
41/2	0.176
43/1	2.023
43/2	2.023
45/1	2.023
45/2	2.039
463/60/1/1	4.233
463/60/1/3	0.669
योग . .	24.079

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—महादेव बेन्द्रा तालाब निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी, बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र मोहन ठाकुर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 13 जुलाई 2022

जबलपुर, दिनांक 4 अगस्त 2022

क्र. B-3494-दो-3-66-2007.—श्री अजय पवार, रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 25 से 30 जुलाई 2022 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय पवार, रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय पवार उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (M) के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 3 अगस्त 2022

क्र. C-3875-दो-2-36-2018.—श्रीमती अनुराधा शुक्ला, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), जबलपुर को दिनांक 14 से 22 जुलाई 2022 तक, नौ दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शुक्ला, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अनुराधा शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-1818-दो-2-46-2022.—श्री हिदायत खान, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 23 जुलाई 2022 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री हिदायत खान, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हिदायत खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-3097-दो-3-420-80-भाग-बारह.—सुश्री शोभा पोरवाल, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक् पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक् आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार सुश्री शोभा पोरवाल को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	120
अर्द्धवेतन अवकाश	180
योग :	<u>300 दिवस</u>

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 120 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय-महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश = _____ X 180
के एवज में नगद 30
भुगतान.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

जबलपुर, दिनांक 21 जुलाई 2022

क्र. A-2836-दो-2-38-2021.—श्री के. एस. बारिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 7 से 9 जुलाई 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. बारिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एस. बारिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2838-दो-2-57-2020.—श्रीमती विधि सक्सेना, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 28 से 30 जून 2022 तक, तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-2844-दो-2-37-2021.—श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 20 से 24 जून 2022 तक, पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भारत सिंह रावत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3646-दो-2-117-2017.—श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शिवपुरी को दिनांक 24 जून से 6 जुलाई 2022 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार अग्रवाल प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3648-दो-2-57-2020.—श्रीमती विधि सक्सेना, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 10 से 11 अगस्त 2022 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 से 9 अगस्त 2022 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 अगस्त 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-3650-दो-2-57-2020.—श्रीमती विधि सक्सेना, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 अगस्त 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 से 21 अगस्त 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-3652-दो-2-33-2018.—श्री हितेन्द्र कुमार सिसोदिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 30 मई से 10 जून 2022 तक, बारह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 11 जून 2022 के एक दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 11 जून 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. बारिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एस. बारिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3427-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री श्रीवास्तव को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश . . 165
- अर्द्धवेतन अवकाश . . 135

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 165 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

- (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश = $\frac{\text{अर्जित अवकाश}}{\text{के एवज में नगद भुगतान}}$ X 135

जबलपुर, दिनांक 28 जुलाई 2022

क्र. A-3025-दो-2-31-2018.—श्री मो. सैय्यदुल अबरार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 6 से 7 जुलाई 2022 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 6 से 7 जुलाई 2022 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो. सैय्यदुल अबरार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1733-दो-2-114-2017.—श्री राजीव म. आपटे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 से 21 अगस्त 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव म. आपटे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव म. आपटे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 4 अगस्त 2022

क्र. C-3907-दो-2-40-2019.—श्री अमिताभ मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 29 मई से 7 जून 2022 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2021 से 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

माननीय प्रशासकीय न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 18 जुलाई 2022

क्र. अवकाश-1095.—श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 3 से 6 अगस्त 2022 तक चार दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 से 9 अगस्त 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि अखिल कुमार वर्मा, यदि, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. व्ही. मण्डलोई, रजिस्ट्रार (एम).

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 0002-अ-82-21-22-भू-अर्जन-Q

विदिशा, दिनांक 15 जून 2022

मौजा उकायला पट. ह. नं. 08 तहसील त्योंदा

(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

(1) परियोजना का नाम :-	हनौता सिंचाई परियोजना
(2) भूमि का विवरण :-	
1. जिला	विदिशा
2. तहसील	त्योंदा
3. ग्राम	उकायला
4. पटवारी हल्का नं.	8
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	9.194 हेक्टेयर

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नं.	भूमि का कुल रकवा (हेक्टे. में)	कुल अर्जित रकवा (हेक्टे. में)
1	बादल सिंह हरिराम सुरेन्द्र सिंह पुत्रगण दोलत सिंह विमलाबाई पुत्री दोलत सिंह प्रागबाई विधवा दोलत सिंह हि 0.140 समान भाग जाति दांगी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी, शांति बाई पुत्री खिलानसिंह हि0.141 कपूरी बाई पुत्री खिलान सिंह हि 0.137 जाति दांगी भूमि स्वामी, शैलेन्द्र सिंह पुत्र गंधर्व सिंह हि 0.564 जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	45/3	0.345	0.020
2	प्रेमसिंह पुत्र रामसिंह जाति दांगी पता उकायला 020 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	51/1/1	0.212	0.010
		51/1/2/1	0.205	0.010
3	शिवराजसिंह पुत्र ग्याप्रसाद जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	168/1	2.414	0.010
4	बलराम पुत्र बाबूलाल जाति खंगार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तातरणीय	332/1/2	1.670	0.421
5	बहादुर सिंह पुत्र रुपसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	338/1	2.021	0.050

6	देवेन्द्रसिंह पुत्र मोहनलाल जाति चमार पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 404/2021 भाग, गोविन्दसिंह पुत्र मोहनलाल जाति चमार पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 404/2021 भाग, अरविन्दसिंह पुत्र मोहनलाल जाति चमार पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 404/2021 भाग, पुष्पाबाई पुत्री मोहनलाल जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 404/2021 भाग , निरजंनसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति राजपूत पता पठारी पठारी विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 405/2021 भाग	338/3	2.021	0.018
7	राजपाल ऊर्फ विशाल सिंह पुत्र जीवनसिंह जाति दोंगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	338/4	1.010	0.148
8	रामदयाल पुत्र पुरन जाति लांधी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 भाग, हरिचरण पुत्र पुरन जाति लांधी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 भाग, गोपीबाई पत्नि पुरन जाति लांधी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 भाग	338/5	1.019	0.158
9	सुमित्राबाई वेवा जमनाप्रसाद जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	338/6	2.021	0.596
10	निरंजन पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	338/7/1	1.011	0.546
11	गनेश पुत्र छतोर जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय अहस्तांतरणीय 1/2 भाग, रामसखीबाई पत्नी गनेश जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय अहस्तांतरणीय 1/2 भाग	343/1/1	1.627	0.112
12	किशाना पुत्र छुडा जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	343/1/3	0.627	0.010
13	अरविन्द ऊर्फ हरीसिंह पुत्र विजयसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	349/1 349/2, 350/2,351/2, रकबा क्रमशः0.105,0.1 56,1.212, 0.533	2.006	0.180
14	कूपालसिंह पुत्र धूमनसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	351/1	2.153	0.737
15	गुड्डा पुत्र जालम जाति आदिबासी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तां.	352/1/1	1.000	0.379
16	सब्बोबाई पुत्री मुन्नीबाई जाति बेडिया पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	352/2	1.545	0.010

17	अशोक पुत्र तुलसिया जाति चिडार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	352/3	0.500	0.110
18	कुंदन पुत्र छतारे जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	352/4	0.585	0.229
19	सुदामा पुत्र तुलसीराम जाति चिडार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	354/1	1.283	0.150
20	सोमतसिंह पुत्र तुलसीराम जाति चिडार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	354/2	1.200	0.470
21	गीताबाई पुत्री काशीराम जाति सहरिया पता देलवाड़ा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तां. 1/3 भाग, चतरु पुत्र काशीराम जाति सहरिया पता देलवाड़ा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तां. 1/3 भाग, गुडडा पुत्र काशीराम जाति सहरिया पता देलवाड़ा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तां. 1/3 भाग	354/3/1	1.000	0.527
22	हरभजन पुत्र ग्यारसी जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तां.	354/3/2	1.000	0.508
23	मुन्नीबाई बेवा पूरनसिंह जाति बेड़िया पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	354/3/3	0.900	0.259
		355/1/1/4	1.000	0.271
24	ब्रजलाल पुत्र मुन्नालाल जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय अहस्तांतरणीय	355/1/1/1	1.200	0.301
25	मनोज पुत्र करनसिंह जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	355/1/1/2	1.200	0.558
26	परमा पुत्र धन्ना जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	355/1/2	1.045	0.005
27	पुन पुत्र आसाराम जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय 1/2 भाग, लीलाबाई पत्नि पुन सिंह जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय 1/2 भाग	355/2	1.045	0.042
28	मोहनलाल पुत्र सुखलाल जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	355/3	0.630	0.062

29	धीरा पुत्र रामचन्द्र हि 1/3 पप्पू सुन्नू पुत्रगण पुचा हि 1/15व पुतरी बाई बेबा पुचा हि 1/30 मोतीबाई चन्दा बाई हरि बाई पुत्रिया पंचा हि 1/10 समान व थान सिंह पुत्र परम ज्ञान बाई इमरत बाई देव बाई घना बाइ पुत्रिया परम दशोदा बाई बेबा परम अंकेश पप्पू नाबा पुत्रगण कन्दू सरप मा स्वय पार्वती बाई बेबा कन्दू कल्लू गोलू नाबा पुत्रगण अंतराम सरप मा स्वय सुशीला बेबा अंतराम हि 1/3समान जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी चन्द्रमाला पत्नि प्रहलाद सिंह हि 2/15 रकबा 0.924 जाति nkxh भूमि स्वामी	361	1.076	0.145
		362	1.839	0.025
		363	1.181	0.075
		366	0.868	0.045
		367	0.961	0.152
30	पप्पू पुत्र गनेशराम जाति चमार पता उकायला 020 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	368/1/1	1.300	0.010
31	शिबू पुत्र बल्देब जाति सहरिया पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्ता.	368/1/2/1	1.000	0.209
32	बारेलाल पुत्र घसीटा जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	370/1/1/1	0.500	0.195
33	होरल पुत्र पुन्नू जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	370/1/1/2	1.500	0.224
34	हरीराम पुत्र मिहीलाल जाति चिढ़ार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	370/1/2	1.279	0.542
35	निरपत सिंह पुत्र छमाधर जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	395/1/2	1.522	0.020
		396	0.115	0.052
36	विजयसिंह पुत्र निरपतसिंह जाति दांगी पता उकायला ज्यांदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 2471/3276 भाग, चन्द्रमाला पत्नि प्रहलादसिंह जाति दांगी पता सैरवासा (पाही) विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 805/3276 भाग	397	0.188	0.010
		404/4	0.773	0.150
37	बारेलाल पुत्र घसीटा जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	399/1	1.087	0.010
38	भगवानसिंह पुत्र मर्दनसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	402/1/1	0.744	0.015
39	रघुराजसिंह, शिवराजसिंह, बाबूसिंह, जसवंतसिंह, वीरन्द्रसिंह पुत्रगण गनेसराम पता नि.ग्राम सैरवासा भूमि स्वामी रामबाई पुत्री गनेशराम फुलबाई बेबा गनेशराम हि 5.754 समान जाति दांगी पता नि.सैरवासा पाही भूमि स्वामी राजपाल नीरज पुत्र राजेन्द्र सिंह रीना कामता पुत्री राजेन्द्र सिंह चंदा बाई बेबा राजेन्द्र सिंह हि 0.821 समान जाति दांगी भूमि स्वामी	402/2	0.784	0.030
		404/2	1.526	0.050

40	पूरनसिंह उर्फ कृष्णकुमार पुत्र अजबसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	402/3	0.732	0.216
41	जयराम पुत्र मर्दनसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	404/1/1	0.606	0.015
42	रामरती बाई पत्नि गजराज सिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	404/1/2	0.606	0.015
43	गजराजसिंह पुत्र इन्दरसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	404/1/3	0.606	0.010
44	ज्ञान बाई बेवा कोमल सिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	404/3	1.275	0.047
45	विजय सिंह उर्फ विपेन्द्र सिंह पुत्र रोशन सिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	405/2	0.840	0.010
46	हरिसिंह वीरसिंह सूरतसिंह पुत्रगण गनेश सिंह मीरावाई उमावाई पुत्री गनेशसिंह यशोदा वाई बेवा गनेश जाति दांगी पता त्योदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 6/7 भाग, देशराज राजेश पुत्रगण भारतसिंह केदारबाई बेवा भारतसिंह जाति दांगी पता उकायला त्योदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/7 भाग	406/1	2.916	0.015
	योग	59	61.319	9.194

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासोदा जिला विदिशा के कार्यालय में दिनांक 27 अगस्त 2022 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासोदा जिला विदिशा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 1875-भू-अर्जन-2022

देवास, दिनांक 7 जुलाई 2022

// प्रारंभिक अधिसूचना //

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 कमांक 30 सन् 2013

चूकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 01 में तालाब योजना अंतर्गत ग्राम रणायरकला तहसील टोंकखुर्द जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषक वार एवं सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि भैसाखेडी तालाब योजना अंतर्गत प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण की जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन-पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची - 1

ग्राम - रणायरकला

कं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	योग
01	तालाब निर्माण अंतर्गत	0.32 हे.	00.00	0.32 हे.

अनुसूची - 2

रणायरकला तालाब योजना अंतर्गत ग्राम के प्रभावित भूमि का विवरण ग्राम रणायरकला तहसील टोंकखुर्द जिला देवास (म.प्र.)

कं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा कमांक	भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे.)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
01	लाखनसिंह पिता मेहरवानसिंह धाकड	1458	0.40	0.0	0.40	0.03	0.0	0.03
02	विजेन्द्र, अजय पिता हुकमसिंह धाकड	1456	0.41	0.0	0.41	0.03	0.0	0.03
03	दीपक नवीन पिता छतरसिंह	1452	0.85	0.0	0.85	0.04	0.0	0.04
04	हीरालाल पिता रामसिंह धाकड	1451	0.28	0.0	0.28	0.02	0.0	0.02
05	सुमित्रा बाई पति लाखनसिंह धाकड	1449/2	0.06	0.0	0.06	0.02	0.0	0.02
06	दुलेसिंह, रामेश्वरसिंह, रेखाबाई पिता विजयसिंह धाकड	1444	0.61	0.0	0.61	0.10	0.0	0.10
07	संजनबाई विधवा मनोहरसिंह, दारासिंह, राजकुमार, धनकुंवर पिता मनोहरसिंह	1437/1	0.01	0.0	0.01	0.01	0.0	0.01
08	निर्मला पति हिम्मतसिंह जाति धाकड.	1437/2	0.39	0.0	0.39	0.05	0.0	0.05
09	माखनदास पिता प्रहलाददास	1367	0.06	0.0	0.06	0.02	0.0	0.02

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चंद्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 01-अ-82-2022-23-भू-अर्जन

ग्वालियर, दिनांक 8 जुलाई 2022

सार्वजनिक सूचना

(भूमि क्रय नीति की कंडिका 11(1) के अंतर्गत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12.11.14 एवं राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम म.प्र. शासन मकोडा छीमक करियावटी सांखनी मार्ग के कि०मी० 33/6 मे पार्वती नदी पर उच्च स्तरीयपुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु ग्राम करियावटी तहसील डबरा जिला ग्वालियर की निजी भूमि रकबा 0.132 है० की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है, तथा इसके भूमि स्वामी/भूमिस्वामियों द्वारा आपसी सहमति से क्रयनीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप - ख में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्रयनीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11(1) के अंतर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अंतर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरणजिला - ग्वालियर
क्षेत्रफल - 0.132 है०ग्राम - करियावटी
तहसील - डबरा

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम एवं निवास स्थान	खसरा नं.	कुल क्षेत्र(है०में)	कुल अर्जित क्षेत्र है० में	अन्य सम्पत्ति	अन्य संरचना
1	2	3	4	5	6	7
1	हेमलता पत्नि मोहन स्वरूप जैन जाति वैश्य निवासी करियावटी तहसील डबरा	1463/ 1/1	0522	0.124	-	-
2	गोपाल पुत्र भगवानसिंह,जाति मिर्धा,पता-ग्वा० भाग 1/4, वासुदेव पुत्र भगवानसिंह भाग 1/4 पता ग्वा०, गौमा बेवा इनामसिंह जाति मिर्धा भाग 1/16, संतोष पुत्र इनामसिंह जाति मिर्धा भाग 1/16, राजकुमार पुत्र इनामसिंह जाति मिर्धा भाग 1/16, पंजाबसिंह पुत्र इनामसिंह भाग 1/16, राजोन्द्र सिंह पुत्र मानसिंह भाग 1/16,पता करियावटी, हरीकिशन पुत्र मानसिंह जाति मिर्धा भाग 1/16 पता करियावटी, राधा पुत्री मानसिंह जाति मिर्धा भाग 1/16, अभिलाषा पुत्री मानसिंह जाति मिर्धा भाग 1/16 पता करियावटी	1464/ 1	1.045	0.008	-	-
	योग	किता०2		0.132 है०		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कौशलेन्द्र विक्रमसिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्र. भू-अर्जन-2021-22-2220

दमोह, दिनांक 29 जुलाई 2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है।

(1). भूमि का वर्णन- जिला : दमोह, तहसील : पथरिया, ग्राम का नाम : केवलारी, क्षेत्रफल : 1.24 हेक्टेयर

स.क्रं.	भू-धारक का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकवा (हेक्ट. में)
1	2	3	4
1	उमेश पिता मुन्नालाल, तुलसी पिता मुन्नालाल साहू	32	0.03
2	कुंदन सींग पिता कल्याण सींग लोधी, चंदन सिंह पिता दशरथ सिंह लोधी, कोमलसिंह पिता दशरथसिंह लोधी, लक्ष्मी पुत्री दशरथ सिंह लोधी, प्रेमरानी बेवा दशरथसिंह लोधी, रनधीर पिता सूरतसिंह लोधी, देवेन्द्र पिता सूरतसिंह लोधी रजनी पुत्री सूरतसिंह लोधी, कल्लोबाई बेवा सूरतसिंह लोधी, गोविन्द पिता कनई लोधी, प्रेमा पुत्री कनई लोधी, कमला पुत्री कनई लोधी, चन्द्ररानी बेवा कनई लोधी, किशुनसींग पिता कल्याणसींग लोधी, घनश्यामसींग पिता शंकरसींग लोधी, कमलरानी बेवा शंकरसींग लोधी	33/4	0.04
3	गोविन्दसींग, मूरतसींग पिता देवीसींग लोधी	33/5	0.01
4	तखतसींग पिता सुखलाल लोधी	42	0.09
		46	0.10
5	श्यामरानी पति तखतसींग लोधी	43	0.07
6	राजकली पति तखतसींग लोधी	44	0.05
7	किशुनसींग पिता कल्याणसींग लोधी, थानसींग पिता कल्याणसींग लोधी, अमोलसींग पिता प्रानसींग लोधी, लाखनसींग पिता प्रानसींग लोधी, हल्केसींग पिता रामचरण लोधी, चंदनसींग पिता रामचरण लोधी	54	0.05
8	राजूसींग पिता जमनासींग लोधी	55/1	0.05
9	दशरथसींग पिता सूरतसींग लोधी	55/2	0.13
10	थानसींग पिता कल्याणसींग लोधी	85/2	0.02
		88/2	0.02
		90/2	0.03
11	राजेन्द्र, भगीरथ, भरत, रनवीर, जगत पिता खिलानसींग लोधी, कमलाबाई पुत्री खिलानसींग लोधी, ताराबाई बेवा खिलानसींग लोधी	85/3	0.02

12	किशुनसींग पिता कल्याणसींग लोधी	85/4	0.03
		88/1	0.02
		93	0.02
13	सुक्का पिता जोराबल घनश्याम पिता दुर्गा	95	0.03
14	रूपसींग, खेतसींग उर्फ बद्रीसींग पिस. सुल्तानसींग	100	0.01
15	शासकीय	94	0.18
		56	0.02
		47	0.22
योग :-			1.24

- 20/8/22 (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है साजली परियोजना के स्कैप चैनल के निर्माण हेतु ।
भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पथरिया भू-अर्जन अधिकारी पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पथरिया भू-अर्जन अधिकारी पथरिया के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. कृष्ण चैतन्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 11-अ-82-21-22-भू-अर्जन-2022-5453

सागर, दिनांक 21 जुलाई 2022

मौजा नीमोन प.ह.नं.-15 तहसीलें बण्डा

(देखिये धारा 19 एवं 21)

अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार की विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम :- बाबिर मटिया नहर विस्तार योजना निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण 1 जिला - सागर 2 तहसील - बण्डा
 3 ग्राम - नीमोन 4 प.ह.नं. - 15
 5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल - 0.84 हे.

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा	अर्जित भूमि का विवरण		स्थावर परिसंपत्ति का विवरण
					सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जयराम सीताराम नर्मदा भरत पि. काशीराम यादव साकिन देह	भूमि स्वामी	178	2.94	0.08	0	शून्य
2	कैलाशचंद पिता दीपचंद साकिन देह	भूमि स्वामी	177	1.21	0	0.06	शून्य
3	कपूरीबाई पति उत्तमचंद जैन निवासी बण्डा	भूमि स्वामी	176	0.09	0.01	0	शून्य
4	उत्तमचंद पि. पन्नालाल साकिन देह	भूमि स्वामी	175	1.46	0.02	0	शून्य
5	राजकुमार पि. रूपनारायण कारोलिया साकिन देह	भूमि स्वामी	169/1	0.61	0.03	0	शून्य
6	भूपेन्द्र सिंह पिता गंधर्वसिंह (1/5 भाग) केसरी सींग पिता गंधर्वसिंह (1/5 भाग), लखनसींग पिता गंधर्वसिंह (1/5 भाग), माखनसींग पिता गंधर्वसिंह (1/5 भाग), करतारसींग पिता गंधर्वसिंह (1/5 भाग)	भूमि स्वामी	171	0.81	0	0.07	शून्य
7	धनबाई पुत्री जसरथसींग लोधी सा देह	भूमि स्वामी	153	0.67	0.07	0	शून्य
8	साहबसींग पि. जसरथसींग साकिन देह	भूमि स्वामी	114	0.35	0	0.02	शून्य
9	लोटेनसींग पि जसरथसींग साकिन देह	भूमि स्वामी	107/1	3.08	0.08	0	शून्य
10	दम्पू खुमान पि अनंता बृजरानी बेवा अनंता मोती हल्कू ललता पि गधू मुकेश नरेश नावा पि व पालक लखन मनीषा रामदेवी पि लखन गीता बेवा लखन साकिन देह	भूमि स्वामी	107/2	3.09	0.16	0	शून्य
10	दम्पू खुमान पि अनंता बृजरानी बेवा अनंता मोती हल्कू ललता पि गधू मुकेश नरेश नावा पि व पालक लखन मनीषा रामदेवी पि लखन गीता बेवा लखन साकिन देह	भूमि स्वामी	108/1	1.25	0.1	0	शून्य

11	कस्तूरीबाई पति छतरसींग साकिन देह	भूमि स्वामी	99	2.14	0.14	0	शून्य
			12	17.7	0.69	0.15	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा कुटुंब का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थान क्षेत्र की पहचाना किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 29/08/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दोवों की रकम और विषिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 93-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2022-5748

सागर, दिनांक 29 जुलाई 2022

मौजा सुमरेरी प0ह0नं0 49 तहसील खुरई

(देखिये धारा-19 एवं 21)

अधिसूचना

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19(1) के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

- (1) परियोजना का नाम बीना से कटनी रेल्वे लाइन तिहरीकरण निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला सागर
 2. तहसील खुरई
 3. ग्राम सुमरेरी
 4. प0ह0नं0 49
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 2.324 हेक्टर एवं मकान 0.049 हे0

कुल अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 2.373 हे0

(मकान 453.26 वर्गमीटर)

स. क्र.	अभिलिखित मू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा कमाक	कुल रकवा हेक्टर में	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टर में)			भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पडती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गुब्बरखा पिता बब्बू खा पता सा0देह	भूमिस्वामी	483/1	0.070	0.000	0.043	0.000	-
2	बसारतखा पिता बब्बूखा सा0देह	भूमिस्वामी	483/2	0.070	0.000	0.043	0.000	आम-1
3	इमरान खान नावालिग पिता व पालक इब्राहीम सोहेल नावालिग पिता व पालक जानमुहम्मद सा0देह	भूमिस्वामी	484	0.120	0.000	0.000	0.023	नींबू-1 सीताफल-5 अमरूद-1 पपीता-1 आम-1 शूलबबूल-3 मीठी नीम-1 बॉसमिरी-62 हैण्डपंप-1
4	इमरान खान ना0वा0 पिता व पा0 इब्राहिम सोहेल ना0वा0 पिता व पा0 जानमुहम्मद सा0देह	भूमिस्वामी	486	0.100	0.000	0.023	0.000	बॉसमिरी-1
5	बलीना पुत्री अनवर खान पता खुरई 1/16 भाग, बेवी पत्नि अनवर खान 1/16 भाग, अकबर पिता गफूर खा 1/8 भाग, अकतर पिता गफूरखा 1/8 भाग, अफसर पिता गफूरखा 1/8 भाग, अजीम पिता गफूर खा 1/8 भाग, अलीम पिता गफूरखा	भूमिस्वामी	488/1	0.060	0.000	0.016	0.000	-

	1/8 भाग जुलेखा पुत्री गफूरखा 1/8 भाग नसरीन पुत्री गफूरखा पता सुमरेरी 1/8 भाग							
6	अकबरखा पिता गफूरखा सा0देह	भूमिस्वामी	488/2	0.030	0.000	0.000	0.015	अनार-1 अमरुद-2 मुनगा-1 नीचू-1 इमली-1 बबूल-1 शूलबबूल-2 चमेली-1 नलकूप-1
7	कान्ता पति गोविन्दसिंह चावला सा0देह	भूमिस्वामी	491/2	0.600	0.000	0.600	0.000	पक्का कुआ-1
8	महेशसिंह पिता सूरतसिंह सा0 सागर	भूमिस्वामी	492	2.450	0.000	0.606	0.000	-
9	धन्नालाल पिता भगवतसिंह सा0 सिमरियाचीतेभान	भूमिस्वामी	493	0.940	0.000	0.545	0.000	
10	इन्द्राजसिंग पिता खिलानसिंह सा0 खुरई	भूमिस्वामी	494	0.050	0.000	0.050	0.000	
11	मानखा पिता पीरखा 1/7 भाग बहादुरखा पिता पीरखा 1/7 भाग मुन्नाखा पिता पीरखा 1/7 भाग उसमानखा पिता पीरखा 1/7 भाग गुडडी पुत्री पीरखा 1/7 भाग शकीनाबी पुत्री पीरखा 1/7 भाग बानो पुत्री पीरखा सा0 सुमरेरी 1/7	भूमिस्वामी	495/1	0.170	0.000	0.170	0.000	
12	हल्काई पिता भोले सा0 मूडरा	भूमिस्वामी	495/2	0.190	0.000	0.190	0.000	
	योग		12	4.850	0.000	2.286	0.038	

रेल्वे लाइन तिहरीकरण के अंतर्गत अर्जित भूमि पर स्थित मकान इत्यादि का विवरण

स. क्र.	भू-धारक का नाम/पिता एवं पति का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकवा	मकान धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	धारा 3 ड के तहत प्रभावित कुटुंबों का विवरण	मकान का विवरण		
						मकान का विवरण	क्षेत्रफल वर्गमीटर (ल. x चौ.)	कुल क्षेत्रफल व.मी. में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बलीना पुत्री अनवर खान पता खुरई 1/16 भाग, बेवी पत्नि अनवर खान 1/16 भाग अकबर पिता गफूर खा 1/8 भाग, अकतर पिता गफूरखा 1/8 भाग अफसर पिता गफूरखा 1/8 भाग अजीम पिता गफूर खा 1/8 भाग अलीम पिता गफूरखा 1/8 भाग जुलेखा पुत्री गफूरखा 1/8 भाग नसरीन पुत्री गफूरखा पता सुमरेरी 1/8 भाग	488/1	0.060	अफसरखा पिता गफूर खा	-	कमरा कमरा	5.20x4.00 5.70x5.70	20.80 32.49
2	अकबर खा पिता गफूरखा	488/2	0.030	अकबर पिता गफूरखा	1. शाकिर खान पिता	कमरा कमरा	4.60x2.10 3.15x6.80	9.66 21.42

					अकबर खान, 2.साबिर खान पिता अकबर खान,	कमरा रसाई कमरा पीछे कमरा आरसीसी कमरा आरसीसी जीना आरसीसी शौचालय आरसीसी कमरा पीछे कमरा बाबासाब कमरा गाटर का	2.90x1.90 2.30x6.25 3.90x8.00 7.30x7.45 1.20x3.00 2.60x2.50 4.10x2.60 5.70x1.40 5.20x4.00	5.51 14.37 31.20 54.38 3.60 6.50 10.66 7.98 20.80
3	इमरान खान नावालिग पिता व पालक इब्राहिम सोहेल नावालिग पिता व पालक जानमुहम्मद सा0देह	484	0.120	जान मुहम्मद पिता बशीरखां, इब्राहीम पिता जानमुहम्मद	1.सोहिल खान पिता जानमुहम्मद, 2.इमाम खान पिता जानमुहम्मद, 3.अनीश खान पिता जानमुहम्मद	मकान कमरा मकान कमरा मकान कमरा मकान कमरा शौचालय शौचालय पक्का	9.05x23.75 1.50x1.90 5.00x7.80 2.20x2.80 1.50x2.20 3.45x2.40	154.30 2.85 39.00 6.16 3.30 8.28

3- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति निर्धारण की कार्यवाही प्रचलित है। अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित होने पर प्रभावित कुटुम्बों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है।

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) भारत सरकार रेल मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक ई(एनजी)-II/2010/आरसी-5/1 नई दिल्ली, दिनांक 11/11/2019 द्वारा अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची की कंडिका 4 के तहत प्रभावित भूमि के विस्थापितों को रेलवे में नियुक्ति की पेशकश करने की रेल मंत्रालय की पूर्व नीति को वापस लिया जाकर एक मुश्त 05 लाख रुपये मात्र का अनुदान प्रदान किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं तदनुसार प्रभावित कुटुम्बों को पात्रता होने पर एक मुश्त 05 लाख रुपये का अनुदान दिया जावेगा।

- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (9) पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता यथास्थिति, पशुबाा या छोटी दुकान के निर्माण के लिए न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए एक बार वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

4- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा यदि आवश्यक हो।
- (9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (10) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (11) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

- (12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (17) बच्चों के लिए क्रीडा क्षेत्र
- (18) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (20) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (21) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्षों से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

5- प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु मौजा सुमरेरी तहसील खुरई की शासकीय आबादी भूमि खसरा नंबर 374/2 रकवा 0.450 हे. पर प्रभावित कुटुंबों को 30X30 वर्गफुट भूमि के आवासीय पट्टे आवंटित किये जावेगे।

6- अधिनियम 2013 की धारा-21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिये प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 09/08/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा-20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

7- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण-11 पश्चिम मध्य रेल भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 06-अ-82-20-21-भू-अर्जन-22-5750

(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

(1) परियोजना का नाम	:	उप मुख्य अभियंता निर्माण 11 पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल को (बीना कटनी तीसरी रेलवे लाईन 265 मि०मी०) निर्माण परियोजना
(2) भूमि का विवरण	:	
	1.	जिला : सागर
	2.	तहसील : सागर
	3.	ग्राम : गिरवर
	4.	प०ह०न० : 102
	5.	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.048

संक्र०	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	ख० नं०	कुल रकवा	अर्जित रकवा	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण	भूमि का प्रकार	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गंगाराम पिता मुरलीधर	भूमिस्वामी	269	1.100	0.809	अमरुद-15 पेड़, आम- 13 पेड़, नीबू- 4, आवला- 1, कैथा- 1, अनार- 2, केला-2, नारियल-1, महुआ-3, इमली-2, कठल-1, पपीता-6, बेरी-6 सागवान- 3, बांस-1, डबूल-125, बमूरा-5, नीम-3 कंऑ पक्का-1	सिंचित	
2	मुरलीधर पिता रामदीन सा. देह	भूमिस्वामी	274	0.600	0.068	-	सिंचित	
3	गजराणी वेदा गोटेला, राजाराम, नन्हेभाई, श्रीराम पिता गोटेला, मुकेश, कमलेश, सुनीलसुनील पिता काशीराम, सविता पिता काशीराम सा. देह	भूमिस्वामी	275	0.020	0.020	-	असिंचित	
4	बालकदास, मोहनलाल, राजकुमार, मुकेश ना.बा. पिता धनिराम पता सा. देह	भूमिस्वामी	276	0.400	0.161	अमरुद-10, नीबू-10, करीदा-10, जामून-10 आम-10 अनार-10 बेर-4 महुआ-1 नीम-2, बबूल-5, सेमर-1 पेड़ कुआ पक्का	सिंचित	
5	मुन्ना, हल्ले, राजू, मुकेश पिता धनिराम, शांतिबाई, निब्बोबाई, काशीबाई पुत्री धनीराम, गुलाबरानी वेदा धनीराम पता सा. देह	भूमिस्वामी	277	1.000	0.295	-	सिंचित	
6	रामसजीवन पिता बालकिशन पता सा. देह	भूमिस्वामी	278	0.870	0.315	महुआ-1, बबूल-1, बेरी-1 पेड़	सिंचित	
7	क्रांतिबाई पुत्री परमलाल पता सा. देह	भूमिस्वामी	282	1.140	0.380	बेरी-1, सेमर-1 नलकूप-1	सिंचित	
	योग:-			5.130	2.048			

रेल्वे लाइन तिहरीकरण के अंतर्गत अर्जित भूमि पर स्थित मकान इत्यादि का विवरण

स. क्र.	भू-धारक का नाम/पिता एवं पति का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकवा	मकान धारका का नाम एवं पिता/पति का नाम	घारा 3 ड के तहत प्रभावित कुटुंबों का विवरण	मकान का विवरण		
						मकान का विवरण	क्षेत्रफल वर्गमीटर (ल. x चौ.)	कुल क्षेत्रफल व. मी. में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गंगाराम पिता मुरलीधर कुर्मी	269	1.100	गंगाराम पिता मुरलीधर कुर्मी	रामलाल पिता गंगाराम कुर्मी	पक्की दीवार सीमेन्ट सीट छाया	6x7	42
					मोतीलाल पिता गंगाराम कुर्मी	आर0सी0सी0	6x7	42
						कच्ची दीवार कवेलू	8x12	96

3- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति निर्धारण की कार्यवाही प्रचलित है। अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित होने पर प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है।

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्मी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) भारत सरकार रेल मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक ई(एनजी)-प/2010/आरसी-5/1 नई दिल्ली, दिनांक 11/11/2019 द्वारा अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची की कंडिका 4 के तहत प्रभावित भूमि के विस्थापितों को रेलवे में नियुक्ति की पेशकश करने की रेल मंत्रालय की पूर्व नीति को वापस लिया जाकर एक मुश्त 05 लाख रुपये मात्र का अनुदान प्रदान किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं तदनुसार प्रभावित कुटुंबों को पात्रता होने पर एक मुश्त 05 लाख रुपये का अनुदान दिया जावेगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (9) पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता यथास्थिति, पशुबा या छोटी दुकान के निर्माण के लिए न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए एक बार वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

4- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा यदि आवश्यक हो।
- (9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (10) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (11) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (17) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (18) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (20) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (21) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्षों से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

5— प्रस्तावित भूमि के अर्जन से प्रभावित कुटुंबों को पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीती के तहत विस्थापित कुटुंबों को ग्राम रगोली पटवारी हल्का नम्बर 104 की शासकीय आबादी भूमि खसरा नंबर 888 रकवा 0.57 हे0 प्रभावित कुटुंबों को 30X30 वर्गफुट भूमि के आवासीय पट्टे आवंटित किये जावेगे।

6— अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 01/09/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

7— भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण-1। पश्चिम मध्य रेल भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 19-अ-82-21-22-5751

(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

उप मुख्य अभियंता निर्माण ।। परिश्रम मध्य रेलवे
भोपाल को (बीना कटनी तीसरी रेलवे लाईन 265
मिष्मीण) निर्माण परियोजना

(1) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

- 1 जिला : सागर
2 तहसील : सागर
3 ग्राम : पाली
4 पट्टा नं०- : 3
5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.660

संख्या क्र०	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	ख० नं०	कुल रकवा	अर्जित रकवा	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण	भूमि का प्रकार	शिकाई
1	गजराज, सरमन पिता कुदउ, सुंदरबाई बेबा कुदउ, लक्ष्मन, धनाबाई पिता पुन्ने निवासी पाली	भूमिस्वामी	304	1.26	0.11	निरंक	सिंचित	
2	लक्ष्मीप्रसाद, हरिशंकर पिता टुंन्डे निवासी पाली	भूमिस्वामी	303/1/1/1	0.27	0.05	निरंक	सिंचित	
3	लक्ष्मीप्रसाद पिता टुंन्डे निवासी पाली	भूमिस्वामी	303/1/1/2	0.60	0.05	निरंक	सिंचित	
4	रामभरत पिता हरिशंकर निवासी पाली	भूमिस्वामी	303/1/1/3	0.80	0.05	निरंक	सिंचित	
5	अमित पिता प्रभुदयाल बारोलिया	भूमिस्वामी	303/1/2	0.22	0.01	निरंक	सिंचित	
6	प्रदीप पिता हरिशंकर निवासी पाली	भूमिस्वामी	303/2	0.20	0.20	निरंक	सिंचित	
7	संतोषरानी पति हरिशंकर निवासी पाली	भूमिस्वामी	303/3	0.80	0.20	निरंक	सिंचित	

8	गुडडीबाई पति प्रभुदयाल निवासी पाली	भूमिस्वामी	303/4/1	0.23	0.10	निरंक	सिंचित	
9	अमित पिता प्रभुदयाल बारोलिया निवासी पाली	भूमिस्वामी	303/4/2	0.23	0.10	निरंक	सिंचित	
10	प्रदीप पिता हरिशंकर निवासी पाली	भूमिस्वामी	303/6	0.14	0.14	निरंक	सिंचित	
11	दीपक पिता मूरतसींग निवासी पाली	भूमिस्वामी	302/1	0.02	0.02	निरंक	असिंचित	
12	दीपक पिता मूरतसींग निवासी पाली	भूमिस्वामी	302/2	0.22	0.14	निरंक	सिंचित	
13	दीपक पिता मूरतसींग निवासी पाली	भूमिस्वामी	302/3	0.12	0.08	निरंक	सिंचित	
14	रूपरानी बेबा मुशी निवासी पाली	भूमिस्वामी	319/1	0.65	0.04	निरंक	सिंचित	
15	रवीन्द्रमाया टिकू पिता मुशी, रूपरानी बेबा मुशी निवासी पाली	भूमिस्वामी	319/2	0.65	0.04	निरंक	सिंचित	
16	रामप्रसाद पिता घासीराम	भूमिस्वामी	320/1	0.39	0.04	निरंक	सिंचित	
17	दिनेश पिता सीताराम निवासी खैराई	भूमिस्वामी	320/2	0.11	0.04	निरंक	सिंचित	
18	हरिशंकर पिता घासीराम निवासी खैराई	भूमिस्वामी	320/3	0.39	0.04	निरंक	सिंचित	
19	सुहागरानी बेबा लक्ष्मन निवासी पाली	भूमिस्वामी	426/1	0.04	0.02	निरंक	असिंचित	
20	कस्तूरीबाईबेबा ठाकुरदास, भीकमसिंह पिता ठाकुरदास निवासी पाली	भूमिस्वामी	426/2	0.08	0.02	निरंक	सिंचित	
21	कस्तूरीबाईबेबा ठाकुरदास, भीकमसिंह पिता ठाकुरदास	भूमिस्वामी	425	0.79	0.08	निरंक	सिंचित	
22	कडोरी पिता टीकाराम निवासी पाली	भूमिस्वामी	406/1	0.57	0.12	निरंक	सिंचित	
23	धूमन पिता कडोरी यादव निवासी पाली	भूमिस्वामी	406/2	1.00	0.12	निरंक	सिंचित	
24	प्रहलाद पिता अच्छेलाल नवासी पाली	भूमिस्वामी	390/3	0.80	0.08	निरंक	सिंचित	
25	सुनील पिता प्रभुदयाल नवासी पाली	भूमिस्वामी	389/2/1/1	0.20	0.03	निरंक	सिंचित	
26	अनिकेत पिता दरयाव यादव नवासी पाली	भूमिस्वामी	389/2/1/2	0.20	0.03	निरंक	सिंचित	
27	पुष्पेन्द्र पिता विष्णुप्रसाद यादव नवासी पाली	भूमिस्वामी	389/2/2	0.20	0.06	निरंक	सिंचित	
28	सुनील पिता प्रभुदयाल नवासी पाली	भूमिस्वामी	389/1	0.61	0.08	निरंक	सिंचित	
29	गोकल पिता अपरवल नवासी पाली	भूमिस्वामी	379/1	1.13	0.21	निरंक	सिंचित	
30	सुभाष, विवेकपिता बंदीपिशाल निवासी रजौआ सागर	भूमिस्वामी	378/1	0.18	0.03	निरंक	सिंचित	
31	फूलसींग पिता मूलचंद नवासी पाली	भूमिस्वामी	373	1.13	0.23	निरंक	सिंचित	

32	राजगोपाल पिता रामप्रसाद नवासी पाली	भूमिस्वामी	372/1	0.49	0.05	निरंक	सिंचित	
33	हरिश्चकर पिता घासीराम नवासी पाली	भूमिस्वामी	372/2	0.25	0.05	निरंक	सिंचित	
	योग:-			14.97	2.66	-		

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 31/08/2022 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं सहायक मंडल अभियंता नि. प.म.रे. सागर में किया जा सकता है।

क्र. 54-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2022-5794

सागर, दिनांक 1 अगस्त 2022

मोजा हिरनछिपा प0ह0न0 52 तहसील बीना

(देखिये धारा-19 एवं 21)

अधिसूचना

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19(1) के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं।

- (1) परियोजना का नाम बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन (तिहरीकरण) निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण
- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. जिला | सागर |
| 2. तहसील | बीना |
| 3. ग्राम | हिरनछिपा |
| 4. प0ह0न0 | 52 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | 7.4264 हे. |

::अनुसूची::

स.क्र.	भू-धारक का विवरण	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकबा हेक्टे.में)				भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	व्यवर्तित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बेवा जीवन दिशा पुत्री जीवन समीर पिता जीवन कोसा बाई बेवा बालचंद सा देह भूमि	भूमि स्वामी	46/1	0.0500	0.000	0.0500	0.000	0.000	0
2	राजीव पिता सीताराम अग्रवाल सा बीना भूमि	भूमि स्वामी	46/2	0.6000	0.000	0.6500	0.000	0.000	1 नीम, 1 सेमर, 4 बबूल
			46/4	0.0500					0
			66/1	0.9500					0
3	जयराम पिता पलटूवा	भूमि स्वामी	46/3	0.0400	0.000	0.0400	0.000	0.000	0
4	बलराम सिंह पिता फूल सिंह बूंदेला सा देह	भूमि स्वामी	47/1/1	0.2800	0.000	0.2400	0.000	0.000	0
5	शंकर सिंह पिता फूल सिंह बूंदेला सा	भूमि स्वामी	47/1/2	0.2800	0.000	0.2400	0.000	0.000	0
6	जगभान सिंह पिता फूल सिंह बूंदेला सा	भूमि स्वामी	47/1/3	0.2800	0.000	0.2500	0.000	0.000	0
7	हरनाम सिंह पिता फूल सिंह बूंदेला सा	भूमि स्वामी	47/1/4	0.2800	0.000	0.2600	0.000	0.000	0
8	भागवती बाई बेवा फूल सिंह बूंदेला सा	भूमि स्वामी	47/1/5	0.0800	0.000	0.0700	0.000	0.000	0

9	धुप सिंह खिलान सिंह पिता मान सिंह कुसुम बाई ताराबाई पिता मान सिंह राजेन्द्र सिंह वर्षा पिता दुरग सिंह भूपेन्द्र बिजेन्द्र रीना पिता सोहन सिंह अभिषेक कुलदीप मोना पिता जयसिंह गीता बाई बेबा जय सिंह राहुल रानी डाली पिता राजा सिंह कौशिल्या बाई बेबा राजा सिंह सा देह	भूमि स्वामी	48	0.2200	0.1700	0.000	0.000	0.000	0
10	बिंदु पति विनोद सिंघई सा देह	भूमि स्वामी	51/1	0.0950	0.000	0.0500	0.000	0.000	0
11	देशराज सिंह प्रताप सिंह मदन सिंह पिता राजेन्द्र सिंह, मनोज सिंह पिता राजेन्द्र सिंह, अजब सिंह पिता राजेन्द्र सिंह मयंक पिता दिलीप सिंह मुस्कान पुत्री दिलीप सिंह रश्मि बेवा दिलीप सिंह, हर्ष प्रताप मा. वा. गुर्जन ना.वा. हर्षिता ना.वा. पिता मनीष सिंह संरक्षक मां पिकी, पिकी बेवा मनीष सिंह, संगीता पिता राजेन्द्र सिंह, मीराबाई बेवा राजेन्द्र सिंह, सभी निवासी वीरसावरकर वार्ड बीना	भूमि स्वामी	2/2	0.8000	0.3300	0.000	0.000	0.000	01 नलकूप
12	मदन सिंह पिता राजेन्द्र सिंह कपिल सिंह पिता देशराज सिंह सा वीर सवर कर वार्ड बीना भूमि	भूमि स्वामी	2/1	0.4200	0.1900	0.000	0.000	0.000	0
13	सुमेर सिंह धुप सिंह खिलान सिंह पिता मान सिंह कुसुम बाई ताराबाई पिता मान सिंह राजाबेटी बेवा मानसिंह गुप्पा सुषमा राजेन्द्र सिंह पिता दुरग सिंह अभिषेक कुलदीप मोना पिता जयसिंह गीता बाई बेबा जय सिंह राहुल रानी डाली पिता राजा सिंह कौशिल्या बाई बेबा राजा सिंह सा देह शीतल प्रसाद पिता झब्बू लाल सेन 750 वर्गफुट, दीनू पिता रामसहाय 800 वर्गफुट	भूमि स्वामी	61/1/1	4.8329	1.9279	0.000	0.000	0.000	1 कच्चा कुआ
14	छोटेलाल पिता इमरत लाल अहिरवार सा धनेतामाल तहसील तेदुखेडा जि दमोह (हि 1300 वर्ग फुट)	भूमि स्वामी	61/1/2	0.0121	0.0000	0.000	0.0121	0.000	0
15	करुणा पति अजय सिंह सा खिरिया वार्ड बीना भूमि	भूमि स्वामी	70/1	0.1900	0.0900	0.000	0.000	0.000	0
16	आशा पति मनोज सिंह सा वीरसावरकर वार्ड बीना भूमि	भूमि स्वामी	70/8	0.7000	0.1300	0.000	0.000	0.000	0

17	मिथलेश सिंह पति अजब सिंह सा वीरसावरकर वार्ड बीना भूमि	भूमि स्वामी	70/7	0.9500	0.3500	0.000	0.000	0.000	0
18	पिकी पति मनीष सिंह सा वीरसावरकर वार्ड बीना भूमि	भूमि स्वामी	70/9	0.5000	0.2000	0.0000	0.000	0.000	0
19	रमेश पिता दयाल दास ब्रम्हानंद पिता उद्धव दास सा गाँधी वार्ड बीना भूमि (कृषि भिन्न आशय)	भूमि स्वामी	67/9/4	0.0700	0.0000	0.000	0.0700	0.0000	0
20	विजय पिता साजन्दास सुन्दरानी दिलीप पिता साजनदास सुन्दरानी सा गाँधी वार्ड बीना भूमि मोहिता पिता महेश बाधवानी सा गाँधी वार्ड बीना (0.0575 हे.कृषि भिन्न आशय)	भूमि स्वामी	67/1/4/1	0.1400	0.0000	0.000	0.000	0.1200	0
21	प्रकाश पिता दयाराम सा गाँधी वार्ड बीना भूमि	भूमि स्वामी	67/1/4/2	0.0570	0.0300	0.0000	0.000	0.000	0
22	मुकेश पिता महेश चन्द्र राय सा वीरसावरकर वार्ड बीना रवि पिता सुरेश कुमार बाधवानी अमित कुमार पिता महेश कुमार बाधवानी सा गाँधी वार्ड बीना (कृषि भिन्न आशय) भूमि	भूमि स्वामी	67/1/5/1	0.1340	0.000	0.000	0.1200	0.0000	0
23	विनोद राय पिता महेश चंद राय सा वीरसावरकर वार्ड बीना	भूमि स्वामी	67/1/5/3	0.0660	0.000	0.000	0.0600	0.0000	0
24	मदन सिंह पिता रज्जन सिंह उर्फ राजेन्द्र सिंह सा वीरसावरकर बीना भूमि	भूमि स्वामी	71/4	0.0100	0	0.000	0.000	0.0100	0
25	शेर सिंह पिता खलक सिंह सा देह भूमि	भूमि स्वामी	67/4	0.1500	0.0800	0.000	0.000	0.000	0
		भूमि स्वामी	67/2	0.1500		0.000	0.000	0.000	0
26	सुरेन्द्र सिंह पिता शेर सिंह सा देह भूमि	भूमि स्वामी	67/7	0.0600	0.1200	0.000	0.000	0.000	0
		भूमि स्वामी	66/5	0.1200		0.000	0.000	0.000	0
		भूमि स्वामी	66/3	0.1200		0.000	0.000	0.000	0
27	अरविन्द पिता शेर सिंह सा देह भूमि	भूमि स्वामी	66/7	0.1800	0.1200	0.000	0.000	0.000	0
		भूमि स्वामी	66/2	0.1800		0.000	0.000	0.000	0
28	देवेन्द्र सिंह पिता शेर सिंह राजपूत सा देह भूमि	भूमि स्वामी	66/10/7 (डायवरटेड)	0.0770	0.000	0.000	0.0770	0.0000	0
		भूमि स्वामी	66/10/1 1	0.0355	0.0000	0.000	0.000	0.0355	0
29	ललित मोहन सिंह पिता भवानी सिंह ठाकुर सा देह	भूमि स्वामी	66/10/2	0.0220	0.0000	0.000	0.000	0.0220	0
30	रामसेवक पिता हीरालाल राय सा वीर सावरकर वार्ड बीना	भूमि स्वामी	66/16	0.0120	0.000	0.000	0.000	0.0120	निरंक

	भूमि (कृषि भिन्न आशय)								
31	बलराम पिता नाथूराम राय सा गणेश गंज शाहपुर भूमि	भूमि स्वामी	66/15	0.0070	0.0000	0.000	0.000	0.0027	0
32	गीता पति महेंद्र सिंह ठाकुर सा 1165/5 प्रेमनगर प्री चर्च के पीछे जबलपुर	भूमि स्वामी	66/10/5	0.0090	0.0000	0.000	0.000	0.0033	0
33	दिग्विजय सिंह पिता एम एल यादव सा बालक काम्प्लेक्स सागर भूमि	भूमि स्वामी	66/10/4	0.0090	0.0000	0.000	0.000	0.0033	0
34	सौरभ सिंह पिता राजेंद्र सिंह सा 56/2 दुर्गा मार्ग तलैया विदिशा भूमि	भूमि स्वामी	66/10/6	0.0090	0.0000	0.000	0.000	0.0033	0
35	विजय पिता पन्ना लाल राय सा केशलोन जैसी नगर भूमि	भूमि स्वामी	66/14	0.0070	0.0000	0.000	0.000	0.0070	0
36	पुष्पा पति देवेन्द्र नाहर सा अशोका गार्डन भोपाल भूमि	भूमि स्वामी	66/13/2	0.0060	0.0000	0.000	0.000	0.0060	0
37	राजू पिता हजारी लाल राय सा वीरसावरकर वार्ड बीना भूमि	भूमि स्वामी	66/13/5	0.0060	0.0000	0.000	0.000	0.0060	0
38	गोविन्द सिंह पिता शेर सिंह राजपूत सा देह भूमि बंटी उर्फ कीर्ति पुत्री शिवनारायण सोनी पति सचिन सोनी (हि 400 वर्ग फुट) वीरसावरकर वार्ड बीना सियाबाई पति शिवनारायण सोनी (400 वर्ग फुट) वीर सावरकर वार्ड बीना मनोज पिता रामप्रसाद रजक (1000 वर्ग फुट) सा भीम वार्ड बीना भूमि	भूमि स्वामी	66/13/1	0.1740	0.0000	0.000	0.000	0.1323	निरंक
39	मुलायम सिंह पिता खलक सिंह सा. देह भूमि	भूमि स्वामी	67/1/1	0.0100	0.0000	0.000	0.000	0.0100	0
40	मयंक पिता दिलीप राजपूत सा वीरसावरकर वार्ड बीना	भूमि स्वामी	67/9/1/1 /1/1/1	0.2600	0.0000	0.000	0.000	0.0300	0
41	खिलान सिंह पिता गोरेलाल राय संतोषी पूजा आरती रविन्द्र कुमार अनुज कुमार पिता खिलान सिंह सा करोंदा	भूमि स्वामी	63/18	0.0100	0.000	0.000	0.01000	0.0000	निरंक
42	श्रीराम पिता रूपनारायण अग्निहोत्री सा नानक वार्ड बीना	भूमि स्वामी	63/98	0.0100	0.000	0.000	0.000	0.0100	0
43	श्रीमती उर्मिला देवी पति अहेश कुमार विश्वकर्मा सा खिरिया वार्ड बीना	भूमि स्वामी	63/58	0.0100	0.000	0.000	0.0100	0.0000	0
44	रामलाल पिता कन्हैया लाल अहिरवार सा देह	भूमि स्वामी	63/106	0.0100	0.000	0.000	0.0100	0.0000	निरंक
45	शांतिबाई पति कल्लू अहिरवार सा जवाहर वार्ड बीना	भूमि स्वामी	63/110	0.0100	0.000	0.000	0.000	0.0100	0
46	दौलत रामप्रसाद पिता कम्मोद अहिरवार सा जवाहर वार्ड बीना	भूमि स्वामी	63/105	0.0100	0.000	0.000	0.000	0.0100	0

47	पंकजप्रकाश नीरजप्रकाश दीपकप्रकाश पिता ओम प्रकाश सा आचवल वार्ड बीना (कृषि भिन्न आशय)	भूमि स्वामी	63/90	0.0150	0.000	0.000	0.0150	0.0000	0
48	सैयद शहीद अली पिता सैयद जाकिर अली सा गाँधी वार्ड बीना (कृषि भिन्न आशय)	भूमि स्वामी	63/45	0.0100	0.000	0.000	0.0100	0.0000	निरंक
49	वीर सिंह पिता ग्यारसी अहिरवार सा नौगाव	भूमि स्वामी	63/22	0.0200	0.000	0.000	0.000	0.0100	निरंक
50	अचला पति मयंक कोयनोलकर सा आचवल वार्ड बीना	भूमि स्वामी	63/134	0.0100	0.0000	0.000	0.000	0.0100	0
51	नुसुमबाई पति नारायण सिंह यादव यादव सा धौरी जिला ललितपुर उ प्र	भूमि स्वामी	63/86	0.0100	0.0000	0.000	0.000	0.0100	0
52	मूल चंद पिता पद्मालाल सेन सा पडरिया भूमि (कृषि भिन्न आशय)	भूमि स्वामी	63/132	0.0080	0.0000	0.000	0.0080	0.0000	निरंक
53	अशोक कुमार ताराचंद पिता ठाकुरदास सा मस्जिद वार्ड 3/10 भाग भगत सिंह पिता रघुराज सिंह बुंदेला सा नमारी 700 वर्ग फुट 7/10 भाग	भूमि स्वामी	63/11	0.0100	0.0000	0.000	0.000	0.0100	0
54	शुभम जातिन पुत्र महेन्द्र कुमार नेहा बेवा महेन्द्र कुमार राय वीरसावरकर वार्ड बीना	भूमि स्वामी	63/136	0.0200	0.0000	0.000	0.000	0.0200	0
55	रीतारानी पति देवेन्द्र राय सा राजीव गाँधी वार्ड बीना	भूमि स्वामी	63/133	0.0300	0.0000	0.000	0.000	0.0230	0
56	संजय कुमार पिता नरबदा सा भरत टाकीज के सामने शाखी वार्ड बीना	भूमि स्वामी	63/59	0.0110	0.0000	0.000	0.000	0.0080	0
57	नारायण प्रसाद पिता सुन्दरलाल सोनी सा बीना	भूमि स्वामी	63/63	0.0100	0.0000	0.000	0.000	0.0080	0
58	कन्हैया लाल पिता परसराम झा सा कानून रो वार्ड बीना	भूमि स्वामी	63/2/4	0.0100	0.0000	0.000	0.000	0.0080	0
59	राजेश कुमार पिता कन्हैया लाल सा खिरिया वार्ड बीना	भूमि स्वामी	63/24	0.0100	0.0000	0.000	0.000	0.0080	0
60	विजय कुमार पिता भगवानदास साहू सा मढिया वार्ड बीना	भूमि स्वामी	63/117	0.0150	0.0000	0.000	0.000	0.0120	0
61	पवन कुमार पिता गोरिलाल (19323/20600 भाग) बादल सिंह पिता राजाराम ठाकुर सा वीरसावरकर वार्ड बीना (100/ 20600 भाग) कुलप्रीत सिंह पिता रघुवीर सिंह गाँधी सा भारत टाकीज के पास बीना (हि 1472 वर्ग फुट 137 / 20600 भाग) दयाचंद पिता रणधीर सिंह लोधी 1000 वर्गफुट एवं अन्य खातेदार	भूमि स्वामी	63/2/1/1 /1/1/1	1.4814	0.0000	0.000	0.000	0.378	0
62	रविप्रकाश पिता जयशंकर त्रिपाठी चंदा पति जयशंकर त्रिपाठी सा नानक वार्ड बीना	भूमि स्वामी	63/31	0.0100	0.0000	0.000	0.000	0.0100	0
63	रामवती पति हरप्रसाद सा	भूमि	63/101	0.0100	0.0000	0.000	0.000	0.0100	0

	शिवाजी वार्ड बीना	स्वामी							
64	विनोद कुमार पिता परमानन्द रजक सा पुरानी बजरिया ललितपुर	भूमि स्वामी	63/112	0.0100	0.0000	0.000	0.000	0.0100	0
65	कमला पति श्यामलाल सा मस्जिद वार्ड बीना	भूमि स्वामी	63/3	0.0100	0.0000	0.000	0.000	0.0100	0
66	प्रीतम माखन पिता हरिराम सेन सा भगत सिंह वार्ड बीना	भूमि स्वामी	63/108	0.0100	0.000	0.000	0.0100	0.0000	0
67	गजराज पिता रामलाल कुर्मी सा चंद्रशेखर वार्ड बीना	भूमि स्वामी	63/76	0.0100	0.000	0.000	0.000	0.0050	निरंक
68	हरगोविंद पिता जल्ये प्रजापति सा देह	भूमि स्वामी	63/77	0.0100	0.000	0.000	0.000	0.0050	निरंक
	कुल योग		75 सर्वे नंबर	15.4909	3.7379	2.288	0.4121	0.9884	

रेल्वे लाइन तिहरीकरण के अंतर्गत अर्जित भूमि पर स्थित मकान/दुकान इत्यादि का विवरण

स. क्र.	भू-धारक का नाम/पिता एवं पति का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा (हेक्टे. में)	मकान धारका का नाम एवं पिता/पति का नाम	धारा 3 ड के तहत प्रभावित कुटुंबों का विवरण	मकान का विवरण	
						मकान का विवरण	कुल क्षेत्रफल व.मी. में
1	2	3	4	5	6	7	8
01	रामसेवक पिता हीरालाल राय सा वीर सावरकर वार्ड बीना भूमि (कृषि भिन्न आशय)	66/16	0.0120	रामसेवक पिता हीरालाल राय सा वीर सावरकर वार्ड बीना भूमि (कृषि भिन्न आशय)	निरंक	01 पक्का मकान	120
02	गोविन्द सिंह पिता शेर सिंह राजपूत सा देह भूमि बंटी उर्फ कीर्ति पुत्री शिवनारायण सोनी पति सचिन सोनी (हि 400 वर्ग फुट) वीरसावरकर वार्ड बीना सियाबाई पति शिवनारायण सोनी (400 वर्ग फुट) वीर सावरकर वार्ड बीना मनोज पिता रामप्रसाद रजक (1000 वर्ग फुट) सा भीम वार्ड बीना भूमि	66/13/1	0.1740	गोविन्द सिंह पिता शेर सिंह राजपूत	निरंक	01 अर्द्ध पक्की दुकान	26
03	खिलान सिंह पिता गोरेलाल राय संतोषी पूजा आरती रविन्द्र कुमार अनुज कुमार पिता खिलान सिंह सा करोंदा	63/18	0.0100	खिलान सिंह पिता गोरेलाल राय	निरंक	01 पक्का मकान	106
04	रामलाल पिता कन्हैया लाल अहिरवार सा देह	63/106	0.0100	रामलाल पिता कन्हैया लाल अहिरवार	निरंक	01 पक्का मकान जिसमें मोजनालय भी है।	93
05	सैयद शहीद अली पिता सैयद जाकिर अली सा गौंधी वार्ड बीना (कृषि भिन्न आशय)	63/45	0.0100	सैयद शहीद अली पिता सैयद जाकिर अली	निरंक	01 पक्की दुकान	93
06	वीर सिंह पिता ग्यारसी अहिरवार सा नौगाव	63/22	0.0200	वीर सिंह पिता ग्यारसी अहिरवार	निरंक	01 पक्का मकान	93
07	मूल चंद पिता पन्नालाल सेन सा पडरियां भूमि (कृषि	63/132	0.0080	मूल चंद पिता पन्नालाल सेन	निरंक	01 पक्का मकान	75

	भिन्न आशय)						
08	गजराज पिता रामलाल कुर्मी सा चंद्रशेखर बाई बीना	63/76	0.0100	गजराज पिता रामलाल कुर्मी	निरंक	01 पक्का मकान	93
09	हरगोविंद पिता जल्ये प्रजापति सा देह	63/77	0.0100	हरगोविंद पिता जल्ये प्रजापति	निरंक	01 पक्का मकान	94
	कुल योग	09	0.264			07 मकान, 02 दुकान	793

3- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति निर्धारण की कार्यवाही प्रचलित है। अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित होने पर प्रभावित कुटुम्बों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है।

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अत्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) भारत सरकार रेल मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक ई(एनजी)-II/2010/आरसी-5/1 नई दिल्ली, दिनांक 11/11/2019 द्वारा अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची की कंडिका 4 के तहत प्रभावित भूमि के विस्थापितों को रेलवे में नियुक्ति की पेशकश करने की रेल मंत्रालय की पूर्व नीति को वापस लिया जाकर एक मुश्त 05 लाख रुपये मात्र का अनुदान प्रदान किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं तदनुसार प्रभावित कुटुम्बों को पात्रता होने पर एक मुश्त 05 लाख रुपये का अनुदान दिया जावेगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुम्ब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (9) पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता यथास्थिति, पशुबाा या छोटी दुकान के निर्माण के लिए न्यूनतम पच्चीस हजार रुपए के

अधीन रहते हुए एक बार वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

4- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसरचरणात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा यदि आवश्यक हो।
- (9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (10) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (11) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (17) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (18) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

- (19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (20) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (21) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्षों से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

5- प्रभावित मकान धारकों व प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु लोक सुनवायी दिनांक 13.06.2022 को प्रभावित व्यक्तियों के स्थायी निवास के संबंध में साक्ष्य दस्तावेज बुलाये गये किन्तु प्रभावित व्यक्ति गोविंद पिता शेरसिंह को छोड़कर शेष समस्त व्यक्तियों के द्वारा स्थानीय निवास के प्रमाण स्वरूप मतदाता परिचय पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके परीक्षण उपरांत पाया गया कि प्रभावित मकान धारक एवं कुटुंब ग्राम हिरनछिपा के स्थायी निवासी नहीं है जिसके कारण उन्हें अस्थायी निवासी की श्रेणी में लिया गया है एवं उनके पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है। ग्राम हिरनछिपा के स्थायी निवासी प्रभावित मकान धारक गोविंद सिंह पिता शेर सिंह ग्राम हिरनछिपा की आबादी भूमि खसरा नंबर 101 में अधिकार अभिलेख प्राप्त कर चुके हैं जिस पर स्वयं के पक्के मकान में निवासरत हैं। अतः प्रभावित मकान धारक निवास विहीन नहीं होने से उनके पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

6- अधिनियम 2013 की धारा-21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिये प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 08/08/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकार के दावों की रकम और विविधियां धारा-20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

7- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी बीना जिला सागर तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण-11 पश्चिम मध्य रेल भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 15-अ-82-21-22-5797

(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थानों परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम : उप मुख्य अभियंता निर्माण ।। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल को (बीना कटनी तीसरी रेलवे लाईन 265 मि0मी0) निर्माण परियोजना
- (2) भूमि का विवरण
- 1 जिला : सागर
- 2 तहसील : सागर
- 3 ग्राम : सेमरा लहरिया
- 4 पट0 ह0 नं0- : 7
- 5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.720

सं. क्र०	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	ख० नं०	कुल रकवा	अर्जित रकवा	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण	भूमि का प्रकार	सिंचित
1	रामरतन पिता बलवान सा . सेमरा लहरिया	भूमिस्वामी	246/1	0.840	0.25	ग्राम खैरा सलैया ख.नं. 197 कुआ	सिंचित	
2	राजकुमार पिता गयाप्रसाद सा .सेमरा लहरिया	भूमिस्वामी	249/1	0.230	0.15	249/2 के कुआ से	सिंचित	
3	ब्रम्हानंद पिता गयाप्रसाद सा.सेमरा लहरिया	भूमिस्वामी	249/2	0.47	0.15	स्वयं के कुआ से	सिंचित	
4	अकलराम पिता बैजनाथ तिवारी सा . सेमरा लहरिया	भूमिस्वामी	250	1.2200	0.17	नाला से	सिंचित	
योग:-				2.760	0.720	-		

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 21/08/2022 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं सहायक मंडल अभियंता नि. प.म.रे. सागर में किया जा सकता है।

क्र. 14-अ-82-20-21-भू-अर्जन-22-5872

सागर, दिनांक 3 अगस्त 2022

(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : उप मुख्य अभियंता निर्माण 11 परिश्रम मध्य रेलवे भोपाल को (बीना कटनी तीसरी रेलवे लाईन 265 मि०मी०) निर्माण परियोजना
- (2) भूमि का विवरण :
1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : रगोली
 4. प०ह०न० : 104
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 4.70

सं. क्र०	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खं० नं०	कुल रकबा	अर्जित रकबा	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण	भूमि का प्रकार	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	राधारानी बेबा टीकाराम राजाराम अरविन्द्र, रेखा, रामस्वरूप, कुन्तीबाई पिता टीकाराम साण देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	99	0.74	0.46		सिंचित	
2.	समकली बेबा रेवाराम, मनोहर, मुलु, नन्ने भाई हरप्रसाद, सोतम, कमला बाई पिता निर्भय सिंह, राजू, अन्नू, लक्ष्मी पिता रेवाराम जगरानी बेबा निर्भय सिंह साण देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	98	0.67	0.07		सिंचित	
3.	वीरन लाल बल्द कालूराम साण देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	58	1.61	0.30		सिंचित	
4.	दयाराम पिता ब्रजलाल साण देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	59/1	0.73	0.11		सिंचित	
5.	ममता पति राजू साण देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	250	0.38	0.29	2 बॉस	सिंचित	
	251		0.85	0.43		सिंचित		
	360		0.58	0.33		सिंचित		
	303/2		0.40	0.28		सिंचित		
6.	परबी बाई पुत्री कल्लू साण देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	361	0.23	0.14		असिंचित	
7.	ज्योती पति प्रकाश आरोरा साण देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	305	0.19	0.19	5 आंगला, 1 अमरुद	सिंचित	
	306		0.65	0.18	60 सागीन, 1 चंदन कुआँ-1	सिंचित		
8.	संतोष पिता मोहन लाल साण देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	302	0.35	0.31	1-आम, 1-नीबू,	सिंचित	
	304		0.02	0.02	1-मुनगा, कुआँ-1	असिंचित		

9.	तुलसीराम पिता चेना साण देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	303/1	0.93	0.28	3-नीबू,20-पपीता 20-केला,10-इमली 2-आंवला, 5-सागौन,2-शीशम, कुआँ-1 मकान-1	सिंचित
10.	गोविंद पिता नारायण सिंह साण देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	309	0.51	0.01		सिंचित
11.	हीरालाल पिता कालूराम साण देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	317/1	0.72	0.18		सिंचित
12.	ओमकार सिंह, भूपेन्द्र सींग पिता परताप सींग,साण देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	253	0.82	0.19		सिंचित
13.	रामसजीबीन, रमेश पिता बालकिशन, सरोजरानी, मायारानी पुत्री बालकिशन, फूलरानी बेबा रामकिशन साण गिरवर	भूमिस्वामी	252	2.40	0.57		सिंचित
14.	महेन्द्र पिता बाबूलाल साण देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	110/3	0.08	0.08		असिंचित
15.	भगवान सींग पिता गोरिलाल	भूमिस्वामी	106	1.21	0.07		सिंचित
16.	परसराम रामेश्वर पिता कालूराम साण देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	74/1	0.36	0.18		सिंचित
17.	गुलाबबाई बेवा कुददा खरगराम, नन्हेभाई रामकिशन रामसेवक वीरन सोमनाथ बेनीबाई श्यामबाई छोटी बाई पिता कुददा साण देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	123/1	0.11	0.03		सिंचित
	योग:-		252	14.54	4.70		

रेल्वे लाइन तिहरीकरण के अंतर्गत अर्जित भूमि पर स्थित मकान इत्यादि का विवरण

स. क्र.	भू-धारक का नाम/पिता एवं पति का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकवा	मकान धारका का नाम एवं पिता/पति का नाम	धारा 3 ड के तहत प्रभावित कुटुंबों का विवरण	मकान का विवरण			निवास की स्थिति
						मकान का विवरण	क्षेत्रफल वर्गमीटर (ल. x चौ.)	कुल क्षेत्रफल वर्.मी. में	
1	ज्योती पति प्रकाश आरोरा सा. सागर	305 306	0.19 0.65	ज्योती पति प्रकाश आरोरा	निरक	पक्का गाटर फर्सी टैंक	60.70 x 10.50 3 x 1.5	637.35 4.5	अस्थायी निवासी
2	तुलसीराम पिता चेना सा. देह भूमि स्वामी	303/1	0.93	तुलसीराम पिता चेना	भरत पिता तुलसीराम रामनाथ पिता भरत	1 पक्का गाटर फर्सी ईट की दीवार सीमेंट की शीट की छत झोपडी पालीथिन छत	10.0x 17.04 6.02x 17.04 05x 10	170.4 102.58 50	स्थायी निवासी

3- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति निर्धारण की कार्यवाही प्रचलित है। अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित होने पर प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है।

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्त्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।

- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) भारत सरकार रेल मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक ई(एनजी)-11/2010/आरसी-5/1 नई दिल्ली, दिनांक 11/11/2019 द्वारा अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची की कंडिका 4 के तहत प्रभावित भूमि के विस्थापितों को रेलवे में नियुक्ति की पेशकश करने की रेल मंत्रालय की पूर्व नीति को वापस लिया जाकर एक मुश्त 05 लाख रुपये मात्र का अनुदान प्रदान किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं तदनुसार प्रभावित कुटुंबों को पात्रता होने पर एक मुश्त 05 लाख रुपये का अनुदान दिया जावेगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (9) पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता यथास्थिति, पशुबा या छोटी दुकान के निर्माण के लिए न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए एक बार वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- 4— अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा यदि आवश्यक हो।
- (9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (10) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

- (11) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (17) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (18) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (20) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (21) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्षों से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3ड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।
- 5- प्रस्तावित भूमि के अर्जन से प्रभावित कुटुंबों को पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीती के तहत विस्थापित कुटुंबों को ग्राम रगोली पटवारी हल्का नम्बर 104 की शासकीय आबादी भूमि खसरा नंबर 888 रकवा 0.57 हे० प्रभावित कुटुंबों को 30X30 वर्गफुट भूमि के आवासीय पट्टे आवंटित किये जावेगे।
- 6- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 02/09/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 7- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण-॥ पश्चिम मध्य रेल भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 44-अ-82-20-21-केलापुर-9442

बैतूल, दिनांक 27 जुलाई 2022

प्रारंभिक अधिसूचना

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन हेतु कुल रकबा हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	केलापुर	0.194	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) मध्य रेल्वे नागपुर	ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जन का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	मल्लू व० नौखेलाल जाति कुन्बी भूमि स्वामी	98/1	0.479	0.054
2	श्री शिवदयाल व० नौखेलाल जाति कुन्बी भूमि स्वामी सा० उमरी	98/3	0.971	0.140
योग		02	1.450	0.194

1- चूंकि ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है। धारा 15 (2) के अधीन तदाशय के सम्बंध में कोई व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैतूल के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 44-अ-82-20-21-मालेगांव-9673

बैतूल, दिनांक 2/3 अगस्त 2022

प्रारंभिक अधिसूचना

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1 (प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन हेतु कुल रकबा हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (M0प्र०)	मुलताई	मालेगांव	0.141	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) मध्य रेल्वे नागपुर	ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जन का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	नारायण पिता बलीराम जाति पंवार सा०देह० भूमिस्वामी	228/3	1.052	0.090
2	कमला पिता महेंगया , अर्जुन, किशोर, रविदास, रामदयाल, राजेश, कांती पिता बलीराम निवासी मुलताई भूमि स्वामी	229/1	0.109	0.011
		229/2	0.090	0.012
		229/3	0.090	0.013
3	कमराम पिता काशीराम , दयाराम पिता किसन, लक्ष्मण पिता साजूराम सा०देह भूमि स्वामी	229/4	0.050	0.008
		229/5	0.050	0.007
योग		06	1.441	0.141

1- चूंकि ईटारसी-नागपुर तीसरी रेलवे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है। धारा 15 (2) के अधीन तदाशय के सम्बंध में कोई व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुलताई के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 44-अ-82-20-21-टिकारी-9675

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन हेतु कुल रकबा हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	टिकारी	0.066	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) मध्य रेल्वे नागपुर	ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जन का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	शिवेन्द्र पिता योगेन्द्रनाथ पाण्डे निवासी बैतूल	985/33/1	0.088	0.004
2	मनोहर लाल व. आनन्दराव दाणी निवासी बैतूल	985/1	0.080	0.004
		985/2		
3	नरिन्द्रकौर पति इन्द्रपालसिंह पोपली निवासी बैतूल	985/39	0.384	0.032
4	मोनिका पति राकेश आहूजा निवासी बैतूल	986/1	0.343	0.020
5	धीरेन्द्र पिता ब्रजलाल भाटिया निवासी बैतूल	986/27	0.005	0.001
		986/29	0.010	
6	इंदिरा पति संतोष निरापुरे निवासी बैतूल	986/30	0.008	0.001
7	तरुण पिता विट्ठलराव ठाकरे निवासी बैतूल	986/4	0.190	0.003
8	भागीरथ पिता हरिराम पंवार निवासी बैतूल	985/14	0.196	0.001
		985/15		
योग		11	1.304	0.066

- 1- चूंकि ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है। धारा 15 (2) के अधीन तदाशय के सम्बंध में कोई व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैतूल के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 44-अ-82-20-21-मलकापुर-9677

प्रारंभिक अधिसूचना

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1 (प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन हेतु कुल रकबा हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	मलकापुर	0.390	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) मध्य रेल्वे नागपुर	ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जन का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	झीको बेवा नत्थू, सुरेश पिता नत्थू, कमल पिता नत्थू, रामप्रसाद पिता नत्थू, उर्मिला पुत्री नत्थू, सरिता बेवा जगन्नाथ, जितेन्द्र पिता जगन्नाथ, छोटू पिता जगन्नाथ, शिवा पिता जगन्नाथ जाति पंवार समस्त निवासी बैतूल	103/2/1	0.334	0.061
2	श्री कमलाप्रसाद पिता नत्थू जाति पंवार निवासी बैतूल	104/2/1	0.522	0.329
	योग	02	0.856	0.390

- 1- चूंकि ईटारसी-नागपुर तीसरी रेलवे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है। धारा 15 (2) के अधीन तदाशय के सम्बंध में कोई व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैतूल के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमनबीर सिंह बैस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 5074-भू-अर्जन-2022

छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 अगस्त 2022

(अधिसूचना)

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 चूंकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2010/W-2/SECR/GC/02/New Delhi, dated 03.03.2012 के अन्तर्गत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत छिंदवाड़ा-नैनपुर-मंडला फोर्ट छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित किये जाने के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित किये जाने जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में कियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-समसवाड़ा प0ह0न-30, ब.न.-266, रा.निर्म-कपूर्दा, तहसील-चौरई	रकबा 0.050 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	रेल्वे परियोजना के अंतर्गत छिंदवाड़ा-नैनपुर-मंडला फोर्ट छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित किये जाने हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) द0पू0मध्य रेल नैनपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण सहायक कार्यपालन अभियंता (निर्माण) छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 5101-भू-अर्जन-2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22/03/2019-20/लघु.सिं./31/1605 भोपाल, दिनांक 05.12.2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	मोहखेड़	ग्राम-हतलेवा प0ह0न0-7/23 ब.न.-595, रा.नि.म.-सांदरी	रकबा- 19.481 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाड़ा	पठरा खोकर जलाशय क0-2 के बाध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौंसर जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 5105-भू-अर्जन-2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-मोहगाँव, प0ह0न-41 ब.न.-490 रा.नि.म- छिन्दवाड़ा-1	रकबा-02.104 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील- छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत मोहगाँव पंप हाउस-2 के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क0-01 तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 5102-भू-अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22/03/2019-20/लघु.सि./31/1605 भोपाल, दिनांक 05.12.2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची**1. भूमि का वर्णन:-**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	मोहखेड़	ग्राम-पठरा खोकर प0ह0न0-8/25, ब.न.-309, रा.नि.म.-सांवरी	रकबा- 33.953 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	मू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाड़ा	पठरा खोकर जलाशय क0-2 के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (मू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण मू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौंसर जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर मू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 5103-भू-अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22/03/2019-20/लघु.सि./31/1605 भोपाल, दिनांक 05.12.2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	मोहखेड़	ग्राम-टेमनी खुर्द प0ह0न0-7/23 ब.न.-19, रा.नि.मं.-सांवरी	रकबा- 1.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-साँसर जिला छिन्दवाड़ा	पठरा खोकर जलाशय क0-2 के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (मू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण मू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौंसर जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर मू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 5104-मू-अर्जन-2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2015/W-I/CR/DPR/Itarsi-Nagpur 3rd line/New Delhi, dated 02.09.2016 के अन्तर्गत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाईन के लिये मू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन के निर्माण के लिये जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पांडुर्णा	ग्राम-पारडी प0ह0न-61, ब.न.-237, रा.निमं-पांडुर्णा, तहसील- पांडुर्णा	रकबा 0.082 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पांडुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाईन हेतु निजी भूमि अधिग्रहण के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mpvenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल, बैतूल के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 5106-भू-अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-खैरीलदू प0ह0न-45 ब.न.-118 रा.नि.म- छिन्दवाड़ा	रकबा-01.788 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील- छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत खैरीलदू पंप हाउस-1 के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क0-01 तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 5107-भू-अर्जन-2022

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	चौरई
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-बामहनवाड़ा प0ह0न-08, ब.न.-202 रा.नि.मं.-चौरई
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-0.114 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	111/3	0.084
2	113/1	0.030
	योग :-	कुल रकबा-0.114 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पेच व्यपवर्तन वृहद परियोजना पंप हाउस-3 के अंतर्गत निर्माण किये जाने हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क0 01 के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 5108-भू-अर्जन-2022

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	चौरई
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-मुआर प0ह0न-02, ब.न.-238 रा.नि.मं.-चौरई
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-01.384 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	555/2, 556/2, 563/2	0.428
2	562/1	0.697
3	562/2	0.050
4	561/4	0.095
5	561/3	0.100
6	565/2	0.014
	योग :-	कुल रकबा-01.384 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पेच व्यपवर्तन वृहद परियोजना पंप हाउस-3 के अंतर्गत निर्माण किये जाने हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी पेच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क0 01 के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 5332-भू-अर्जन-2022

छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 अगस्त 2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22/03/2019-20/लघु.सि./31/1605 भोपाल, दिनांक 05.12.2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पांडुर्णा	ग्राम-दुधा पोहोनो-59, ब.न.-192, रा.नि.मं.- पांडुर्णा	रकबा- 31.157 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील- पांडुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	दुधा जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mpvenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- 3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पांडुर्णा जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग पांडुर्णा जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 5333-भू-अर्जन-2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22/03/2019-20/लघु.सिं./31/1605 भोपाल, दिनांक 05.12.2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची**1. भूमि का वर्णन:-**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पांडुर्णा	ग्राम-राजोराकला प0ह0न0-59, ब.न.-336, रा.नि.म.- पांडुर्णा	रकबा- 3.111 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील- पांडुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	दुधा जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पांडुर्णा जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग पांडुर्णा जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 11-अ-82-भू-अर्जन-22-23-5985

सागर, दिनांक 10 अगस्त 2022

नौजा चंदनहारी पटवारी हल्का नं. 23 तहसील राहतगड

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग परियोजना प्रशासक देतवा पी.आई.यू. क-2 राहतगड, जिला सागर को दीना सिंचाई परियोजना मडिया बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित की दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूंकि परियोजना प्रशासक, देतवा पी.आई.यू. क-2 राहतगड, जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J-12011/31/2014-IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है वहां इत अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 296 शान्तों को लगभग 90,000 हे. भूमि स्थिति होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आराय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है।

(1) परियोजना का नाम :-

बीना सिंचाई परियोजना मडिया बांध

(2) भूमि का विवरण :-

1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
4. पटवारी हल्का नं.
5. अर्जित भूमि का कुल क्षेत्रफल

सागर

राहतगड

चंदनहारी

23

= अनुसूची =

स.क्र.	अनिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	क्षेत्रफल कुल रकबा हे० में	अर्जित भूमि (रकबा हे० में)	शेष रकबा	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	7	8	
1	दीनज नूपेन्द्र बल्द बलवानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/1	0.360	0.360	0.000	
			2/2	0.170	0.170	0.000	
			2/4	0.040	0.040	0.000	
2	बलवानसींग पहलवानसिंह बल्द महतापरसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/3	0.330	0.330	0.000	
			6/1	0.050	0.050	0.000	
			35	0.160	0.160	0.000	
			87	0.040	0.040	0.000	
			89	1.160	1.160	0.000	
3	रघुराजसींग बल्द पंचमसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4/1	1.210	1.210	0.000	
4	पंचमसींग पिता बडेदीर रघुराज मुन्ना मंगल दशरथ दुर्गेश अरगोक देजन्तीबाई भिस्त. पंचमसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3	0.070	0.070	0.000	
			4/2	0.180	0.180	0.000	
			5	0.110	0.110	0.000	
			6/2	0.040	0.040	0.000	
			18	0.180	0.180	0.000	

1	2	3	4	5	7	8
5	मनमोहन लोधी पिता श्यामलाल पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी ✓	भूमि स्वामी	13	0.490	0.490	0.000
			81	0.030	0.030	0.000
			84	1.730	1.730	0.000
6	रामकली साहू बेवा छिमाधर साहू पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/4 भाग भूमि स्वामी सुशीला पुत्री छिमाधर साहू पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/4 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मी पुत्री छिमाधर साहू पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/4 भाग भूमि स्वामी गूडडी पुत्री छिमाधर साहू पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/4 भाग भूमि स्वामी ✓	भूमि स्वामी	14	0.130	0.130	0.000
			83	0.120	0.120	0.000
7	खेमचंद बल्द अमोली पता सा. देह भूमि स्वामी ✓	भूमि स्वामी	15	0.100	0.100	0.000
			26	0.170	0.170	0.000
			82	0.140	0.140	0.000
			157	0.080	0.080	0.000
8	नेत्रपालसिंह पिता वीरेन्द्रसिंह जाति राजपूत पता राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी ✓	भूमि स्वामी	16	0.160	0.160	0.000
			19	0.180	0.180	0.000
			22	0.180	0.180	0.000
			24	0.050	0.050	0.000
			36	0.590	0.590	0.000
			37	0.080	0.080	0.000
			39	0.300	0.300	0.000
			68	0.550	0.550	0.000
			69	0.490	0.490	0.000
			67	0.080	0.080	0.000
			73	0.100	0.100	0.000
			80	0.040	0.040	0.000
9	अमरसिंह पिता रामशरणसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी ✓	भूमि स्वामी	159	0.040	0.040	0.000
			160	0.030	0.030	0.000
			20	0.060	0.060	0.000
			32	0.630	0.630	0.000
10	दरयाबसिंह बल्द पूरनसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी ✓	भूमि स्वामी	33	0.020	0.020	0.000
			34	0.250	0.250	0.000
			21	0.190	0.190	0.000
			25	0.810	0.810	0.000
			27	0.070	0.070	0.000
			158	0.070	0.070	0.000

1	2	3	4	5	7	8
11	शालिगराम बल्द खेमचन्द पता सा. देह भूमिस्वामी ✓	भूमि स्वामी	28	0.330	0.330	0.000
			29	0.280	0.280	0.000
			30	0.310	0.310	0.000
12	आदित्यसिंह पिता मुकेशसिंह जाति सिंह पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमिस्वामी ✓	भूमि स्वामी	31	0.530	0.530	0.000
			43/2	1.090	1.090	0.000
			56	0.910	0.300	0.610
			57	0.080	0.080	0.000
			58	0.570	0.570	0.000
			59	0.020	0.020	0.000
13	शिवराजसिंह पिता गजराजसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी ✓	भूमि स्वामी	55	0.070	0.030	0.040
			38	0.170	0.170	0.000
			40/2	0.240	0.240	0.000
			54	0.080	0.035	0.045
			61	0.080	0.080	0.000
			62	0.050	0.020	0.030
			70	0.030	0.030	0.000
			71	0.610	0.610	0.000
			72	0.330	0.330	0.000
			74	0.050	0.050	0.000
			64	0.040	0.040	0.000
			76	0.030	0.030	0.000
			161	0.040	0.040	0.000
162	0.580	0.580	0.000			
75/2	3.550					
14	योगेन्द्र पिता बाबूसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ✓	भूमि स्वामी	75/1	0.110	2.900	0.760
			79	1.320	1.320	0.000
15	जितेन्द्रसिंह पिता बाबूसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ✓	भूमि स्वामी	40/1	1.050	1.050	0.000
			41	0.020	0.020	0.000
			42	0.020	0.020	0.000
			46	0.860	0.610	0.250
16	राजेन्द्रसिंह पिता रामशरणसिंह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ✓	भूमि स्वामी	43/1	0.080	0.080	0.000
			44	0.050	0.050	0.000
			45	1.310	0.600	0.710

1	2	3	4	5	7		8
17	अनुजसिंह पिता नेत्रपालसिंह जाति राजपूत पता चंदनहारी राहतगढ सागर म. प्र. भूमिस्वामी ✓	भूमि स्वामी	60	0.070	0.070	0.000	
			63	0.080	0.080	0.000	
			65	0.030	0.030	0.000	
			66	0.740	0.740	0.000	
19	बैनीबाई बेवा शिवप्रसाद पता चन्दन हारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92/1/1	1.370	9.280	0.550	
20	सीताराम यादव पुत्र शिवप्रसाद पता राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92/1/2/1	0.750			
21	संजय यादव पुत्र सीताराम पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	92/1/2/2	0.420			
22	सुरेश पुत्र शिवप्रसाद पता चन्दन हारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92/1/3	1.170			
23	माखन तख्त प्रकाश महेश पिता रामशंकर केराबाई- बेवा. रामशंकर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92/2	3.720			
24	प्रेमनारायण यादव पुत्र शिवप्रसाद पता चन्दनहारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	92/3/1	0.760			
25	विक्रम यादव पुत्र प्रेमनारायण पता चन्दनहारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92/3/2	0.440			
26	तखतसींग बल्द रामशंकर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92/4	1.200			
27	लक्ष्मनसींग बल्द नारायण सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	95/1	0.580	1.625	2.285	
			95/4	0.980			
28	धूमनसींग पिता नारायणसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	95/2	0.180			
		भूमि स्वामी	95/3	0.970			
29	कपिल बल्द ऋषिराज पता सा. परासरीकला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	95/5	0.800			
30	हनमत सिंह पिता लछमन सिंह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	95/6	0.400			

1	2	3	4	5	7	8
31	मौजीलाल पुत्र पूरन पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/6 भाग भूमि स्वामी शिवनारायण पुत्र पूरन पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/6 भाग भूमि स्वामी नवीवाई पुत्री पूरन पता पठारी विदिशा म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी मोती पुत्र चेतु पता चंदनहारी राहतगढ सागर म. प्र. 1/12 भाग भूमि स्वामी मुन्ना पुत्र चेतु पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/12 भाग भूमि स्वामी केशरवाई पुत्री चेतु पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/12 भाग भूमि स्वामी रामकली पुत्री चेतु पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/12 भाग भूमि स्वामी कोमल पुत्री चेतु पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/12 भाग भूमि स्वामी हीरावाई पुत्री चेतु पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/12 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	104	1.890	0.770	1.120
32	गुडडी पुत्री रामेश्वर पता चन्दन हारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/2 भाग भूमि स्वामी बेदी पुत्री रामेश्वर पता चन्दन हारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	109/1	0.820	0.060	3.530
33	महेन्द्र पिता मनमोहन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	109/2+109/4	1.390		
34	बालकिशन बल्द मनमोहन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	109/3	1.380		
35	कुलदीप बल्द अमरसीग राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	163	1.190	1.190	0.000
			166/1	0.590	0.590	0.000
36	विशाखा पत्नि अमरसीग राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	165	0.290	0.290	0.000
			166/2	0.200	0.200	0.000
37	शिवपालसिंह बल्द दरयावसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	167	4.860	0.625	4.235
38	नरेन्द्र पिता बायूसीग पता चन्दनहारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	78	0.960	0.100	0.860
39	बायूलाल पिता मिट्टू पता मानकी सलैया राहतगढ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	399	0.250	0.250	0.000
			400	0.050	0.050	0.000
योग:-			108	55.480	40.455	15.025

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16 -15- (7)2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक: 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक: 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके संयुक्त, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को कियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू - अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक बेतवा पी.आई.यू.क.-2 राहतगढ़ सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक: 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक: 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई.यू.क.- 2 राहतगढ़ सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलिंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई.यू. 2 राहतगढ़ सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 71-अ-82-21-22-भू-अर्जन-22-5986

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित गिजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैं:-

(1) परियोजना का नाम :- बीना सिंचाई परियोजना मडिया बांध निर्माण

(2) भूमि का विवरण :-

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. जिला | सागर |
| 2. तहसील | राहतगढ |
| 3. ग्राम | दरकोली |
| 4. पटवारी हल्का नं. | 10 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | 106.991 हे. |

:: अनुसूची -01::

स. क्र.	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकबा हेक्टे. में)			भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	धन्नु बल्द वारेलाल गुलाब बाई मुन्नीबाई रामबाई पुत्री वारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	83	2.430	2.159	0.000	0.000	1 कच्चा कुआ
			84	0.610	0.305	0.000	0.000	1 सागौन डूट
2	राजाराम पिता हरचंद विश्वकर्मा पता खेजरामाफी राहतगढ सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	99/1	0.200	0.200	0.000	0.000	1 आम
			199/1/2	0.080	0.080	0.000	0.000	
3	नरान पिता शोभाराम पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	99/2	0.210	0.150	0.000	0.000	
4	दौलत पिता शोभाराम पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	99/3	0.620	0.100	0.000	0.000	1 पक्का कुआ

	2	3	4	5	6	7	8	9
5	पूरन पुत्र भैयालाल 1/4 भाग रामलाल पुत्र भैयालाल 1/4 भाग गोपी पुत्र भैयालाल 1/4 भाग गोमतीबाई पुत्री भैयालाल 1/4 भाग पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	101	0.750	0.250	0.000	0.000	1 सागौन, 1 रुसल्लु, 1 रेन्जा, 1 साज
6	शिवनारायण पिता जयसींग पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	102/1	1.420	1.420	0.000	0.000	
			200/1	0.720	0.720	0.000	0.000	
7	गोविन्द पिता जैसींग पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	102/2	0.360	0.360	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 गुरार, 1 कोहा
			200/2	0.730	0.730	0.000	0.000	
8	रामलाल पिता भैयालाल पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	103/1	0.570	0.570	0.000	0.000	2 सागौन ✓
9	पूरन पिता भैयालाल पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	103/2	0.260	0.260	0.000	0.000	
10	रघुवीर प्रसाद पिता हरदयाल पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	104/1	1.760	0.400	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 15 आवला, 1 आम, 4 अमरुद, 1 बेरी, 1 कटहल, 3 नींबू, 2 साज, 2 रेन्जा, 14 सागौन, 8 सोबबूल, 5 गुन्जा, 1 कसई, 1 पलास, 2 नीम, 1 वर्गा, 1 धिरोल
			233/1	1.790	1.790	0.000	0.000	1 बेरी, 3 रेन्जा, 1 पलास, 2 खुमी, 1 पीपल, 1 बेल, 2 कोहा
11	अरविन्द कुमार पिता रघुवीर प्रसाद पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	104/2	0.880	0.480	0.000	0.000	
			105	2.030	2.030	0.000	0.000	1 कच्चा तालाब, 4 पलास, 1 गुन्जा, 4 सागौन, 1 नीम, 3 सोबबूल, 1 कसई, 2 साज
			106	0.120	0.120	0.000	0.000	
			108/1	0.960	0.960	0.000	0.000	

	2	3	4	5	6	7	8	9
12	गोर्वाधन पिता जोरावल 1/3 भाग तुलाराम पिता जोरावल 1/3 भाग हरीराम पिता जोरावल 1/3 भाग पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	107	0.900	0.900	0.000	0.000	1 कच्चा कुआ 1 नीम, 2 सागौन, 2 पलास डूट, 1 गुरार
13	सुरेन्द्र कुमार पिता रघुवीर पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	108/2	1.600	1.600	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 2 दूधूवेल, 1 आम, 4 गुरार, 1 रूसल्लो, 2 हड्डा, 1 गुन्जा, 2 पलास, 1 पीपल
			110	2.000	2.000	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 बेरी
			116	0.320	0.320	0.000	0.000	
14	राकेश पिता सीताराम 1/5 भाग जगदीश पिता सीताराम 1/5 भाग सुरेन्द्र पिता सीताराम 1/5 भाग निर्मला पुत्री सीताराम 1/5 भाग शांतिबाई बेवा सीताराम 1/5 भाग पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	109	1.130	1.130	0.000	0.000	1 पक्का कुआ
15	दुरग पिता नंदा पता खेजरामाफी राहतगढ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	111/1	0.160	0.160	0.000	0.000	
16	जमना पिता पूरनसिंग पता खेजरामाफी राहतगढ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	111/2	0.320	0.320	0.000	0.000	3 सेमर
17	बाबूसींग पिता कन्हेदीलाल 1/2 भाग चैनसींग पिता कन्हेदीलाल 1/2 भाग पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	113/1	1.040	1.040	0.000	0.000	3 छेवला, 2 रेंजा
18	दरयावसिंह पिता राजाराम पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	113/2	0.400	0.400	0.000	0.000	
19	भरत सिंह पिता राजाराम पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	115/1	0.400	0.400	0.000	0.000	
20	लखनसिंह पिता राजाराम पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	115/2	0.030	0.030	0.000	0.000	
			121	0.370	0.370	0.000	0.000	

	2	3	4	5	6	7	8	9
21	प्यारीबाई बेवा राजाराम पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	115/3	0.120	0.120	0.000	0.000	
22	सरवन पुत्र तुलाराम 1/4 भाग खूबा पुत्र तुलाराम 1/4 भाग मथुरा पुत्र तुलाराम 1/4 भाग रामप्यारी पुत्री तुलाराम 1/4 भाग पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	118	0.270	0.270	0.000	0.000	
		भूमि स्वामी ✓	119	0.370	0.370	0.000	0.000	
23	प्रेमसींग पिता मनमोहन पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	120/1	0.160	0.160	0.000	0.000	
24	प्रभू पिता मनमोहन पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	120/2	0.150	0.150	0.000	0.000	
25	खूबसींग पिता कमलेशसिंह लोधी दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	122	0.160	0.160	0.000	0.000	
26	प्रभाबाई पिता इमरतसींग पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	123	0.350	0.350	0.000	0.000	1 पलास ✓
27	नाथूराम छोटेलाल पिस. कन्हैयालाल प्रेमबाई बेवा कन्हैयालाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	124/1	0.100	0.100	0.000	0.000	
28	दीपनरायण नरेश ना बा पिता व पा प्रभू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	124/2	0.100	0.100	0.000	0.000	
29	कच्छेदी पिता श्यामलाल पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	125	0.320	0.320	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 बेरी, 1 पलास
			128/2	0.330	0.330	0.000	0.000	
30	अब्दुलफहीम पिता अब्दुल शहीद पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	127	1.110	1.110	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 3 पलास
31	कृपाराम पिता अनंतराम पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	128/1	1.380	1.380	0.000	0.000	2 पलास, 1 खेर
32	दयाराम पिता हरीनारायण पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	129	1.590	1.590	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 बेरी, 2 पलास
			221	0.180	0.180	0.000	0.000	

	2	3	4	5	6	7	8	9
33	गुन्नासिंह पिता बिहारी पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	130	0.250	0.250	0.000	0.000	3 पलास ✓
			215	1.930	1.930	0.000	0.000	1 पक्का कुआ ✓
34	पुष्प कुमार पिता मुन्ना सिंह पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	131	0.300	0.300	0.000	0.000	
			227	1.310	1.310	0.000	0.000	
35	कुन्दनसींग पिता बिहारी पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	132/1	1.620	1.620	0.000	0.000	
			135/2	0.200	0.200	0.000	0.000	4 बेरी, 1 सोबबल ✓
36	श्रीबाई पुत्री बिहारी पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	132/2	1.220	1.220	0.000	0.000	1 पक्का कुआ ✓
37	रामप्यारी पति कुन्दनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	134	2.180	2.180	0.000	0.000	1 ट्यूबवेल, 1 बेरी, 3 पलास ✓
38	दिनेश पिता कुन्दन पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	135/1	1.980	1.980	0.000	0.000	1 ट्यूबवेल, ✓
39	गोवरधन पिता छत्तरसींग पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	136/1	0.970	0.970	0.000	0.000	
			213/1	2.320	2.320	0.000	0.000	
			214/1	0.150	0.150	0.000	0.000	1 पक्का कुआ ✓ 8 पलास, 1 उमर, 2 पीपल, 1 गुरार
40	गुलाब पिता छत्तरसींग पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	136/2	0.970	0.970	0.000	0.000	
			213/2	1.610	1.610	0.000	0.000	
			214/2	0.160	0.160	0.000	0.000	
41	तुलाराम पिता परम पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	137/1	0.340	0.340	0.000	0.000	
			137/2	0.350	0.350	0.000	0.000	
42	हरीराम पुत्र कम्मोद 1/5 भाग नेतराम पुत्र कम्मोद 1/5 भाग नव्योवाई पुत्री कम्मोद 1/5 भाग परमोवाई पुत्री कम्मोद 1/5 भाग लच्छोवाई पुत्री कम्मोद 1/5 भाग पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र.0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	138	0.540	0.540	0.000	0.000	1 आम ✓
			211	0.930	0.930	0.000	0.000	

2	3	4	5	6	7	8	9
43	भूमि स्वामी	139	0.530	0.530	0.000	0.000	
43	भूमि स्वामी	212	0.920	0.920	0.000	0.000	
44	भूमि स्वामी	140	0.380	0.380	0.000	0.000	4 सागीन
45	भूमि स्वामी	141/1	0.800	0.560	0.000	0.000	2 पलास
46	भूमि स्वामी	142	2.180	0.742	0.000	0.000	
47	भूमि स्वामी	150	1.160	0.250	0.000	0.000	1 पक्का कुआ
48	भूमि स्वामी	149	0.510	0.020	0.000	0.000	
48	भूमि स्वामी	151/1	0.730	0.160	0.000	0.000	
49	भूमि स्वामी	151/2	1.460	0.460	0.000	0.000	3 रुसल्ला
50	भूमि स्वामी	152	0.750	0.300	0.000	0.000	
51	भूमि स्वामी	153/1	0.800	0.180	0.000	0.000	

	2	3	4	5	6	7	8	9
52	छोटेलाल पुत्र बल्ले पता राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	206/2	0.110	0.000	0.110	0.000	
53	प्यारेलाल पुत्र बल्ले पता राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	190/2	0.640	0.000	0.090	0.000	
54	खुशीलाल पुत्र बल्ले पता राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	190/3	0.650	0.000	0.290	0.000	
55	मानसींग पुत्र बल्ले पता पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	205	0.460	0.000	0.460	0.000	
			206/1	0.190	0.000	0.190	0.000	
56	कुंजीलाल बल्द रामलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	192	2.760	0.860	0.000	0.000	1 बेरी ✓
			203	0.750	0.750	0.000	0.000	
57	हुकुमसींग पिता करनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	195/1	1.150	0.625	0.000	0.000	1 बेरी, 1 साज
58	भीकम बल्द करनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	195/2	1.150	0.750	0.000	0.000	1 पीपल ✓
59	अब्दुल गफफार बल्द अब्दुल गफूर पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	196/1	4.170	0.860	0.000	0.000	3 रूसलला
60	मु. आजम पिता अब्दुल गफार खां पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	229/2	1.000	1.000	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 बेरी ✓
			229/3	1.600	1.600	0.000	0.000	1 ट्यूबवेल ✓
			229/4	0.800	0.800	0.000	0.000	
61	कृष्णकांत पुत्र चैनसींग 1/5 भाग संतोषरानी बेवा चैनसींग 1/5 भाग माया पुत्री चैनसींग 1/5 भाग मनीषा पुत्री चैनसींग 1/5 भाग शिवानी पुत्री चैनसींग 1/5 भाग पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	197/1	0.850	0.850	0.000	0.000	1 पीपल, 2 पलास ✓
62	भारत सींग बल्द रामचरण पता सा. गावरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	197/2	0.850	0.850	0.000	0.000	2 पलास ✓
63	सुरेश कुमार पिता राजाराम विश्वकर्मा पता राहतगढ़ सागर म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	199/1/1	0.800	0.800	0.000	0.000	
64	संतराम नावा पिता व पा सीताराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	199/2	1.000	1.000	0.000	0.000	1 पक्का कुआ 2 पलास, 3 रूसलला
65	मु. अराद बल्द अब्दुल गफफार पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	200/3	0.710	0.710	0.000	0.000	1 चिराहल ✓
		भूमि स्वामी ✓	201	1.310	1.310	0.000	0.000	1 ट्यूबवेल ✓

	2	3	4	5	6	7	8	9
66	सोनूराम बल्द सीताराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	202	0.820	0.820	0.000	0.000	
67	जगदीश पिता मुन्जा पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207	0.540	0.540	0.000	0.000	1 बेरी, 2 पलास
68	पुतरोबाई पति सुखलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	208	0.150	0.150	0.000	0.000	
69	मनकुवंर पति परषोत्तम प्यारीबाई पति बैजनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	209/1	1.160	1.160	0.000	0.000	
70	सुधाबाई पति परसराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	209/2	0.360	0.360	0.000	0.000	1 द्यूववेल, 1 बेरी
			209/3	0.800	0.800	0.000	0.000	1 बेरी, 4 पलास
71	मन्नू वल्द भगवानदास पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	210/1	0.770	0.770	0.000	0.000	1 पलास
72	परसराम वल्द भगवानदास पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	210/2	0.770	0.770	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 2 बेरी, 1 पलास
73	शारदाबाई पति मुन्नासिंह पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	216	1.880	1.880	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 2 सेमर, 1 पलास
74	अनवरशाह वल्द निशारशाह पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	217	1.170	1.170	0.000	0.000	
75	तीरथ सींग वल्द प्रताप सिंह महेश सिंह पिता तीरथ सींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	218/1	0.600	0.600	0.000	0.000	
			219/1	0.600	0.600	0.000	0.000	
76	श्यामलाल पिता भोले पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	218/2	0.590	0.590	0.000	0.000	1 उमर
77	रामनरेश देशराज पिता गोवर्धन पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	219/2	0.410	0.410	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 बेरी
			219/3	0.410	0.410	0.000	0.000	
			219/4	0.410	0.410	0.000	0.000	
			219/5	0.220	0.220	0.000	0.000	
			219/6	0.140	0.140	0.000	0.000	
78	रविशंकर पिता दिलीपसींग पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	220/1	1.200	1.200	0.000	0.000	

	2	3	4	5	6	7	8	9
79	हृदय पिता दिलीपसिंग पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	220/2 222/4 226	0.900 0.880 0.600	0.900 0.880 0.600	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	1 पक्का कुआ, 1 बेरी 2 अमरुद
80	कमलेश पिता दिलीप जाति लोधी पता खेजरामाफी राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	222/1/1	1.000	1.000	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 बेरी
81	लालचंद पिता कमलेश जाति लोधी पता खेजरामाफी राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	222/1/2	0.770	0.770	0.000	0.000	
82	केराबाई पत्नी कमलेश जाति लोधी पता खेजरामाफी राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	222/2	0.600	0.600	0.000	0.000	2 पलास
83	दौलत पिता दिलीप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	222/3	2.370	2.368	0.000	0.002	1 पक्का कुआ, 17 आम, 40 अमरुद 1 जामुन
84	माधव सींग पिता तीरथ सींग पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	225/1	3.810	3.810	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 दयबबेल, 2 बेरी, 1 अमरुद, 7 पलास
85	महेश सींग पिता तीरथ पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	225/2	3.810	3.810	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 दयबबेल, 1 आम, 1 अमरुद, 15 पलास, 1 बबूल, 1 पीपल, 2 कोहा, 2 रेन्जा, 2 बहेरा
86	बाबूलाल पिता गुलाब पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	229/1	1.700	1.700	0.000	0.000	
87	तारा पुत्री श्यामलाल 1/12 भाग अनोप पुत्री हरनाम 1/8 भाग प्रहलाद पुत्र श्यामलाल 1/12 भाग गन्धर्व पुत्र श्यामलाल 1/12 भाग ओमकार पुत्र रामसींग 1/4 भाग रनवीरसींग पुत्र रामसींग 1/4 भाग रूपसिंग पुत्र हरनाम 1/8 भाग पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	230/1	0.890	0.890	0.000	0.000	

	2	3	4	5	6	7	8	9
88	कल्सू पुत्र मुहम्मदसलीम 1/13 भाग रियाजा पुत्र मुहम्मदसलीम 1/13 भाग शायदा पुत्री मुहम्मदसलीम 1/13 भाग जरीना पुत्री मुहम्मदसलीम 1/13 भाग मुकनेश पुत्री मुहम्मदसलीम 1/13 भाग आरिफ पुत्र मुहम्मदसलीम 1/13 भाग इमत्याज पुत्र मुहम्मदसलीम 1/13 भाग उवेश पुत्र मुहम्मदसलीम 1/13 भाग आमना बी बेवा मुहम्मदसलीम 1/13 भाग इरसाद बी पुत्री मुहम्मदसलीम 1/13 भाग समशाद बी पुत्री मुहम्मदसलीम 1/13 भाग भाग आपदा बी पुत्री मुहम्मदसलीम 1/13 भाग भाग शायबा बी पुत्री मुहम्मदसलीम 1/13 भाग भाग पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	230/2	0.440	0.440	0.000	0.000	
89	शोकत पिता सखाबत पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	231	0.700	0.700	0.000	0.000	✓
90	रनवीरसिंह पिता रामसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	232	1.330	1.328	0.000	0.002	1 पक्का कुआ, 1 बेरी, 1 नीवू, 1 रतनजोत, 1 कोहा, 1 सेमर
91	कृष्णाबाई पति रघुवीर प्रसाद पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	233/2	1.790	1.790	0.000	0.000	1 पक्का कुआ
92	राकेश पिता रतीराम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	236	0.670	0.000	0.670	0.000	2 कोहा, 1 बबूल
		भूमि स्वामी ✓	237/1/2	1.390	1.390	0.000	0.000	
93	हरीशंकर पिता अयोध्या प्रसाद पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	237/2	1.000	1.000	0.000	0.000	
94	इन्द्राज पिता रतीराम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	237/1/1	0.800	0.800	0.000	0.000	2 उमर, 1 प्रलास 1 पीपल, 1 कंजी
		भूमि स्वामी ✓	238	0.800	0.000	0.800	0.000	
95	हरीशंकर पुत्र गोविन्ददास 1/4 भाग अमानो बाई पुत्री गोविन्ददास 1/4 भाग सरोज पुत्री गोविन्ददास 1/4 भाग रुक्काबाई बेवा गोविन्ददास 1/4 भाग पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	240	0.770	0.770	0.000	0.000	
96	प्रेमयाई बेवा छत्तारसींग पता सा. खैजरागाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी ✓	136/3	0.650	0.650	0.000	0.000	
		भूमि स्वामी ✓	219/7	0.140	0.140	0.000	0.000	
	कुल योग		137	123.170	104.377	2.610	0.004	

भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बों एवं मकान इत्यादि का विवरण

स. क्र.	भू-धारक का विवरण	मकान धारक का विवरण	खसरा नं.	अर्जित संपत्ति का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	घारा उडी के तहत प्रभावित कुटुंब
1	2	3	4	5	6	7
1	दौलत पिता दिलीप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	दौलत पिता दिलीप	222/3	खुली देहलान खपरैल	7.50	
				कच्चा मकान ईट मिट्टी की जुड़ाई खपरैल	10.00	
2	रनवीरसिंह पिता रामसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	रनवीरसिंह पिता रामसिंह	232	कच्चा मकान खपरैल	21.00	

संयुक्त जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रारूप-04 अंतर्गत उपरोक्त तालिका के स.क्र. 39, 40, 48, 49, 75, 77, एवं 96 पर क्रमशः 136/1,136/2, 151/1,151/2, 219/1, 219/2, 219/3, 219/4, 219/5, 219/6 एवं 136/3,219/7 का वर्तमान भू-अभिलेख अनुसार रकवा एवं मिसल बन्दोबस्त के अनुसार रकवा में अंतर पाया गया है। उक्त सर्वे क्रमांक में रकवा में अंतर के संबंध में जांच प्रतिक्रियाधीन है। जांच उपरांत पाये गये तथ्यों के आधार पर अंतिम अधिनिर्णय में जांच प्रतिवेदन के आधार पर सुधार किया जाना प्रस्तावित है।

प्रभावित भूमि स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों का मौजा दाऊदपुर पटवारी हल्का नं. 0031 तहसील राहतगढ जिला सागर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 4, 6/1, 9, 11 एवं 59 रकवा क्रमशः 5.57, 21.57, 4.12, 7.27 एवं 6.38 हेक्टेयर कुल रकवा 44.91 हेक्टेयर पर शासकीय आवासीय पट्टा दिया जावेगा तथा म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)/117/18/एम.पी.एस./31/1761/ भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा बीना सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावितों हेतु स्वीकृत विशेष पैकेज निम्नानुसार है:-

(अ) डूब क्षेत्र की निजी भूमि हेतु:-

(i) क्रय/अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर रूपये 10 (दस) लाख की दर से एक मुश्त राशि।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि में पक्का कुआं होने की दशा में रूपयें 2 (दो) लाख प्रति कुआं।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि में चालू ट्यूबवेल होने की दशा में रूपयें 1 (एक) लाख प्रति ट्यूबवेल।

तथा

अर्जित की जाने वाली भूमि में फलदार वृक्षों का बगीचा होने की दशा में उपरोक्त के अतिरिक्त रूपयें 3 (तीन) लाख प्रति हेक्टेयर की दर से।

(ii) भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण का मुआवजा आदेश जारी किए जाने की दशा में मुआवजा राशि उपरोक्तानुसार वर्णित राशि से कम हो तो अंतर की राशि कृषक से सभी प्रकार के स्वत्वों एवं बाद के अंतिम निराकरण की पूर्ण सहमति प्राप्त करने के उपरांत विशेष अनुदान के रूप में दी जावे।

(ब) परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया सहज बनाने और विस्थापितों की सहमति से उनके पुनर्वास के उद्देश्य से विस्थापित होने वाले परिवारों को निम्नानुसार एक मुश्त पुनर्वास (अनुदान) पैकेज दिया जाए।

(i) अर्जित किये जाने वाले मकान का कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य की राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान

तथा

ग्रामीण क्षेत्र में भू-खण्ड दिये जाने की दशा में रु. 2.00 (दो) लाख एक मुश्त अनुदान।

अथवा

यदि पात्र परिवार भू-खण्ड नहीं लेना चाहता है तो रु. 5.00 (पांच) लाख एकमुश्त पुनर्वास अनुदान।

(ii) उपरोक्तानुसार एकमुश्त पुनर्वास अनुदान में परिवहन अनुदान एवं पुनर्वास आदि सभी के लिए देय राशि सम्मिलित मानी जावेगी और इनके लिए पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी

(iii) परिवार से आशय है :- (i) शादी शुदा व्यस्क का परिवार (ii) परित्यक्ता का परिवार अथवा

(iii) विधवा का परिवार

(स) उपरोक्तानुसार विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ लेने के लिए इच्छुक विस्थापित परिवारों की लिखित सहमति प्राप्त की जाए। लिखित सहमति प्राप्त होने की दशा में ही इस विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देय होगा, अन्यथा नहीं।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 13/09/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं

भूमि के नक्शों तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ़ जिला सागर तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.-2) क्रमांक 2 राहतगढ़, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.